प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 13 – 20 मार्च 2017 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश वित्त निगम में

75 करोड़ का ऋण हुआ 1700 करोड़, रिकवरी संकट में

- निगम के पास इतने ऋण की धरोहर केवल 25 करोड़
- डीआरटी में 119 लाख के स्टांप पेपर लगाकर हालिस हुए केवल 60 लाख
- रिकवरी के लिये अपने एक्ट को नजर अन्दाज कर सीपीसी का सहारा लेना सवालों में

शिमला/बलदेव शर्मा

प्रदेश वित्त निगम लगभग डूब चुका है। एक अरसे से निगम नई ईकाईयों को फाईनैन्स नहीं कर कर पा रहा है। धर्मशाला आदि कई स्थानों पर इसके कार्यालय व्यवहारिक रूप से बन्द हो चुके हैं। वैसे तो प्रदेश के लगभग सभी निगम और बोर्ड घाटे में चल रहे हैं केवल खाद्य एवम् आपूर्ति निगम को छोड़कर। लेकिन प्रदेश के वित निगम का बदहाल होना अपने में कुछ अलग ही सवाल खडे करता है। क्योंकि इसके प्रबन्धन में दूसरे निगमों/बार्डो से भारी अन्तर है। इस निगम के प्रबन्धन बोर्ड में कोई गैर सरकारी सदस्य नही होता है और प्रदेश के मुख्य सचिव ही इसका अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव के साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके प्रबन्धकीय बोर्ड के सदस्य होते हैं। यह व्यवस्था इसलिये है ताकि किसी को ऋण देने और उसकी वसूली करने में कोई राजनीतिक दबाव आड़े न आये और सारा काम नियमों कानूनो के मुताबिक हो। वित्त निगम का एक ही काम उद्योग ईकाईयों को ऋण देना और उसकी वसूली करना है। इसकी स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत हुई है और इस अधिनियम की धाराओं 29,30,31 और 32 में ही यह सक्ष्म प्रावधान है कि किसी भी ऋण की वसूली के लिये सीपीसी का सहारा न लेना पड़े।

वित्त निगम के आन्तरिक रैगुलेटर सिडवी इसके निरीक्षण और संचालन की व्यवस्था के लिये प्रदेश के वित्त विभाग के पास इसके प्री आडिट की जिम्मेदारी है। अधिनियम में रखी गयी इस व्यवस्था का अर्थ है कि इसके हर लेन – देन को अमली शक्ल लेने से पहले प्री आडिट से होकर गुजरना आवश्यक है। वित्त विभाग को आन्तरिक आडिट की जिम्मेदारी का अर्थ है कि ऋण आदि की किसी भी अदायगी से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि इसमें वांछित सारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की ली गयी हैं। किसी भी ऋण के दिये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाता है कि इसकी वापसी कैसे होगी। इसके लिये ऋण लेने वाले की अचल संपति आदि के सारे दस्तावेज धरोहर के रूप में रखे जाते हैं और इनका संबधित राजस्व अधिकारी के रिकार्ड में इन्दराज करवाया जाता है ताकि निगम की अनुमति के बिना इसे बेचा न जा सके। धरोहर रखी गयी संपति की कीमत दिये गये ऋण से कम नहीं होनी चाहिये। यदि इस व्यवस्था की अनुपालना सुनिश्चित रही होती तो प्रदेश के वित्त निगम के डूबने की नौवत कभी न आती।

आज वित्त निगम की कुल रिकवरी का आंकडा 1700 करोड़ तक पंहुच गया है। इस 1700 करोड़ की रिकवरी का मूलधन केवल 75 करोड़ है। लेकिन इस 75 करोड़ के मूलधन की वसूली के लिये धरोहर रूप में रखी गयी संपति की कीमत 25 करोड़ भी नही है। स्वाभाविक है कि जब 25 करोड़ की धरोहर के एवज़ में 75 करोड़ का ऋण दे दिया जायेगा तो वह 1700 करोड़ तक पहुंच ही जायेगा। इस समय डीआरटी चण्डीगढ़ के पास रिकवरी के लिये दायर हुए केसों में निगम ने 119 लाख के तो स्टांप पेपर आदि ही लगा रखे हैं लेकिन रिकवरी केवल 60 लाख है जबकि चण्डीगढ़ में इन मामलों की पैरवी करने के लिये नियमित रूप से दो कर्मचारियों की तैनाती की है और उन्हें एक गाडी भी दी गयी है। इसके अतिरिक्त इन मामलों में वकीलों को जो फीस दी गयी वह भी करोड़ो में है। रिकवरी के मामले सीपीसी के प्रावधानों के तहत दायर किये गये। जब डीआरटी की स्थापना हुई और इसका कार्यालय चण्डीगढ़ में भी स्थापित हुआ तब एचपीएफसी ने भी इसका रूख कर लिया ऋणधनों की बसुली के लिये लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत प्रावधान है इसके लिये 1983 में HP Public Money (Recovery of Dues) Act 1973 में संशोधन किया गया था। यही नहीं 1985 में लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत रिकवरी सुनिश्चित करने के लिये सारी वित्तिय निगमों को अधिकृत करने के लिये वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 32 में 32G जोड़ा गया था । लेकिन इस प्रावधान के तहत वांच्छित नियम बनाने में 18 वर्ष का समय लगा दिया गया। 2003 में यह नियम बनाये गये। यह नियम बनने के बाद इनके तहत कितनी कारवाई हुई यह देखने का भी किसी ने कष्ट नही किया। 1994 से 2009 के बीच निगम के अधिनियम की 31 के तहत दायर हुए 80 मामलों में एक्ट के तहत अधिकृत वैधानिक आदेश तक हासिल करने का प्रयास नही किया गया है। कई मामलों में तो धरोहर के रूप में रखी संपति को बेच लिया गया है क्योंकि संबधित राजस्व रिकार्ड में इन्दराज ही नही थे।

वित्त निगम की इस जमीनी हकीकत से यह सवाल उभरते हैं कि जब निगम के अधिनियम की धाराओं 29,30,31 और 32 ऋण वसूली की प्रक्रिया और प्रावधान स्पष्ट परिभाषित हैं तो फिर उनको नजर अन्दाज करके सीपीसी की प्रक्रिया और प्रावधानों को लम्बा सहारा क्यों लिया गया? जब ऋण वसूली के लिये लैण्ड रैवन्यू एक्ट का प्रावधान सारी वित्तिय निगमों को उपलब्ध है तो इसके तहत कारवाई क्यों नहीं की जा रही? वित्त निगम के प्रबन्धन की जो कार्यशैली रही है उससे यह भी सवाल उभरता है कि क्या निगम के अधिनियम के प्रति इसका प्रबन्धन सही में अनभिज्ञ रहा है या फिर जानबूझ कर राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिये यह नजर अन्दाजी की गयी है। आज प्रबन्धन की इस कार्यशैली के कारण निगम का 1700 करोड़ रूपया डूब रहा है। क्या इसके लिये किसी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। वित्त निगम की यह वस्तुस्थिति इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव के संज्ञान में है लेकिन वह इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इससे यह संकेत उभरता है कि उनपर भारी दबाव चल रहा है क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो प्रदेश के बड़े राजनेताओं या उनके संबधियों से ताल्लुक रखते हैं।

हिमाचल में भी शुरू हुआ राजनीतिक पाले बदलने का दौर

सुशांत ने दी नड्डा के दरबार में दस्तक

शिमला/जे पी भारद्वाज

अभी हुए चुनावों में भाजपा चार राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गयी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में अप्रत्याशित जीत हासिल हुइ है। इस जीत का कद इतना बड़ा था कि इसमें गोवा और मणीपुर की हार इन राज्यों में कांग्रेस का सबसे बडी पार्टी बनकर आना भी उसे बहुमत न मिलना करार दिया गया। यह जीत इतनी बड़ी है कि इसमें अभी किसी तर्क के सुने जाने के लिये कोई स्थान ही नहीं बचा है। स्वभाविक है कि इस जीत का असर अभी काफी समय तक रहेगा और खासकर उन राज्यों में जहां इसी वर्ष चुनाव होने हैं। उत्तराखण्ड और यूपी में चुनावों से पहले लगभग सभी दलों में तोड़ फोड़ हुई है। दूसरे दलों से कई नेता भाजपा में गये और वहां टिकट पाने में सफल भी हो गये तथा अब मन्त्री भी बन गये हैं। हिमाचल में भी इसी वर्ष चुनाव होने हैं और यूपी तथा उत्तराखण्ड की तर्ज पर यहां भी राजनीतिक तोड़-फोड़ पाले बदलने का दौर शुरू हो रहा है।

चौपाल के निर्दलीय विधायक बलवीर वर्मा जीतने के बाद वीरभद्र सिंह के साथ जा खड़े हुए थे और कांग्रेस के सहयोगी सदस्य बन गये थे। बलवीर वर्मा की तरह अन्य निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ खडे हो गये थे और कांग्रेस की सहयोगी सदस्यता ले ली थी। यह सहयोगी सदस्यता लेने पर भाजपा के सुरेश भारद्वाज ने इनके खिलाफ विधानसभा स्पीकर के पास एक याचिका भी दायर कर रखी है जो कि अभी तक लंबित है। इस याचिका में इन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गयी है। लेकिन आज बलवीर वर्मा भाजपा के साथ खड़े हो गये हैं और उनके भाजपा सदस्य बनने की विधिवत घोषणा कभी भी सभंव है। वर्मा की तर्ज पर अन्य निर्दलीय विधायकों के भी भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं चर्चा में हैं।अभी जब केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला थे उस समय बलवीर वर्मा और राजन सुशांत का वहां होना इसी दिशा के संकेत हैं। यह भी स्वभाविक है कि विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को प्रदेश के हर उस मुखर स्वर को जो आज कांग्रेस के साथ नही है, अपने साथ मिलाकर यह संदेश देना होगा कि प्रदेश में भाजपा के लिये कहीं से भी कोई चुनौती नही है। भाजपा के जो लोग नाराज होकर आम आदमी पार्टी में जा बैठे थे उन्हे भाजपा में वापिस लाना एक ऐजैन्डा होगा। इस समय जो राजनीकि माहौल खड़ा हुआ है उसमें यह सब अभी आसानी से हो भी जायेगा।

लेकिन जैसे ही बलवीर वर्मा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा बाहर आयी उसी के साथ चौपाल के भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष भी मुखर हो गया है। कार्यकर्ता बलवीर वर्मा को आगे उम्मीदवार न बनाये जाने की मांग लेकर होईकमान के पास दस्तक देने का मन बना चुके हैं। कार्यकर्ताओं की ऐसी नाराजगी और भी कई स्थानों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। भाजपा में जहां राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थितियां काफी सुखद हो गयी हैं वहीं पर हिमाचल में उसका मुकाबला वीरभद्र जैसे व्यक्ति से है। वीरभद्र आज फिर कांग्रेस में प्रदेश के एकछत्र नेता बन गये हैं भाजपा की जीत ने उनका रास्ता बहुत सीधा कर दिया है कांग्रेस के अन्दर उन्हे कोई चुनौती नहीं रह गयी है। जबकि भाजपा नेतृत्व के प्रश्न पर स्पष्ट नही हो पा रही है। धूमल, नड्डा अभी से दो अलग – अलग सशक्त खेमे बनकर सामने हैं। फिर जिस ढंग से यूपी और उत्तराखण्ड में संघ की पृष्ठभूमि के लोगों को नेतृत्व सौंपा गया है उससे यहां भी कयास लगने शुरू हो गये हैं कि यहां भी कोई संघ की पृष्ठभूमि का व्यक्ति ही नेता होगा। धूमल और नड्डा दोनों ही संघ की हाईलाईन से बाहर के नेता हैं। बल्कि इस कडी में अजय जमवाल का नाम सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया है। ऐसे में पाले बदलने का जो दौर शुरू हुआ है उससे अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी कभी भारी भी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसी लहर के दौरान ही सामान्य कार्यकर्ता को उभरने का अवसर मिलता है।

धूमल सरकार में बाबा रामदेव को लीज पर दी जमीन में उल्लंघनों का खुलासा

शिमला/शैल। पतजंलि योगपीठ को धूमल सरकार में दी गई जमीन में कई उल्लंघनाओं का खुलासा होने के बाद कांग्रेस के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने इस जमीन को योगगुरू बाबा रामदेव को जमीन वापस न करने का वीरभद्र सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने ये सवाल विधानसभा में उठाया कि जब मामला अदालत में हैं तो केबिनेट फैसला क्यों ले रही है। अनिरूद्ध सिंह कसुम्प्टी विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं।

वीरभद्र सरकार के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि धूमल सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया और लीज पर आचार्य बालकृष्ण को साइन करने थे लेकिन वहां पर किसी तीसरे व्यक्ति ने साइन किए थे। ये उल्लंघना थी। इसके बाद जिस जमीन को बाबा रामदेव के पंतजलि योग पीठ को लीज पर दिया गया था हकीकत मे उनको कोई दूसरी ही जमीन दे दी गई। यही नहीं बाबा रामदेव की ओर से धूमल सरकार में जो डीपीआर दी गई थी उसमें यहां पर औषधीय पौधों, हर्बल प्लांट व जड़ी बूटियों को उगाने की ट्रेनिंग देने का भरोसा दिया गया था। राजीव बिंदल ने ये सवाल पूछा था कि क्या यहां पर पंचकर्म षटकर्म आदि खोलने के लिए बाबा रामदेव ने ये जमीन नहीं ली थी।

इस पर कौल सिंह ने फिर खुलासा किया कि बाबा रामदेव ने यहां बाकी शर्तो के मुताबिक कुछ नहीं किया केवल पंच सितारा होटल बनाना शुरू कर दिया। जिस जगह डीसी ने साइन करने थे वहां पर बालकृष्ण के व्यक्ति ने साइन कर दिए। मायने ये कि ऐसे में ये जमीन डीसी के नाम लीज पर चली गई और जमीन देने वाले बालकृष्ण हो गए। कौल सिंह ने कहा कि आपने डीसी पर दबाव डाल कर से काम करवाया।

कौल सिंह ने कहा कि बालकृष्ण ने किसी और व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी दे दी जबकि बालकृष्ण को खुद साइन करने थे और वो किसी व्यक्ति विशेष को पॉवर ऑफ अटार्नी नहीं दे सकते थे।

इसके अलावा लीज दस्तावेज में जगह जगह ओवर राइटिंग की गई थी।

इस बीच धूमल ने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने जल्दबाजी में ये लीज रदद की थी। भाजपा सरकार ने जो भी किया था वो सही किया था। सरकार ने गलत फैसला लिया था। वहां पर जो पुलिस तैनात की गई हैं उसका वेवजह खर्चा हुआ।

इस पर कौल सिंह ने कहा कि अदालत ने आदेश दिए थे कि बिल्डिंग को न गिराया जाए। इसलिए सरकार ने वहां पर गार्द तैनात कर दी। सरकार जल्दबाजी में फैसला नहीं लेती सोच समझ कर फैसले लेती है।

उन्होंने कहा कि पंतजलि योगपीठ ने अदालत में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं व जब तक वो सरकार के खिलाफ आरोपों को वापस नहीं लेते हैं सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि बालकृष्ण की ओर से मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसे केबिनेट में ले जाया गया व वहां ये फैसला लिया गया कि अगर बाबा रामदेव याचिका वापस लेते हैं तो रिप्रेजेंटेशन पर विचार किया जाएगा।

सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया हैं। मामला विचाराधीन हैं।

कांग्रेस विधायक अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि ये गिव एंड टेक का मामला हैं। जब इतनी सारी उल्लंधना की गई हैं तो फिर जमीनवापस क्यों दी जा रही हैं। यहां पर अनाथालय, गउसदन, और स्पोर्टस कॉपलेक्स बनाया जा सकता हैं।

सोलन में स्वदेशी साहीवाल गायों के लिए ईटीटी लैब प्रस्तावित: अनिल शर्मा

शिमला/शैल। सोलन जिला के कोटला-बड़ोग में 1.5 करोड़ रुपये की इम्ब्रो ट्रांसफर प्रौद्योगिकी (ईटीटी) प्रयोगशाला आरम्भ करने के लिए परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है, इसके अन्तर्गत स्वदेशी साहीवाल गायों के लिए ईटीटी लैब स्थापित की जाएगी। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पशुधन तथा कुक्कुटपालन विकास बोर्ड की शासकीय निकाय की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पालमपुर, सोलन तथा घणाहट्टी में नए लिक्विड नाईट्रोजन प्लांटस के स्थापना के पश्चात प्रदेश में कुल 368 नए कृत्रिम वीर्यरोपण केन्द्र कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के 3429 संस्थानों में से 2944 संस्थानों में यह सुविधा प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मण्डी तथा हमीरपुर के ताल में इसी तरह के नए प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे।

शर्मा ने कहा कि 42 वर्षो के अन्तराल के बाद डेनमार्क से 6 जर्सी बैलों का आयात किया गया है। ये बैल उच्च नस्ल के हैं तथा पालमपुर में इनका पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बैल में 6000 लीटर उत्पादन की क्षमता है अर्थात इनकी संतान 20 लीटर प्रतिदिन की दुग्ध उत्पादन क्षमता रखती हैं। वर्तमान में विभाग में 10 से 14 लीटर प्रतिदिन की उत्पादकता वाले पशु हैं। उन्होंने कहा कि इन बैलों की कीमत 54 लाख रुपये है।

बोर्ड के सदस्यों को अवगत करवाया गया कि बोर्ड के पास 5.40 करोड़ रुपये के कॉरप्स निधि तथा तीन करोड़ रुपये की वार्षिक आय है। शासकीय निकाय ने हिमाचल प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड के वर्तमान वित्त वर्ष की आय तथा व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 1720 लाख रुपये की प्राप्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही बीमार पशुओं के लिए दो अलग से शैड, बैल शैड, सोलन वीर्य बैंक की पार्किंग परिसर के निर्माण के अलावा नाहन, सोलन तथा सुन्दरनगर के कुक्कुट फार्मों की अधोसरचना को सुदृढ़ करने के लिए भी धनराशि प्रदान करने को स्वीकृति दी।

बैठक मे यह भी बताया गया कि सुन्दरनगर में नए हैचरी भवन के निर्माण के लिए 15.32 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

प्रधान सचिव (पशुपालन) ओंकार शर्मा ने विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए समर्पण की भावना से कार्य करने को कहा ताकि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने प्रदेश के सभी पशु ब्रीडिंग फार्म, वीर्य स्टेशन, वीर्य बैंक, ईटीटी लैब तथा कुक्कुट-पालन हैचरीज के आधुनिकीकरण तथा सुधार के लिए भी कहा।

निदेशक डॉ. आर.के. आनन्द ने कार्यवाही का संचालन किया तथा संयुक्त निदेशक डा. युनिस अंसारी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बोर्ड के अधिकारिक तथा गैर-अधिकारिक सदस्यों के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों के एडीसी, डॉ. के.डी. स्याट, डॉ. बी.एस. तंवर तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए नियमों को अंतिम रूप नहीं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लाखों अवैध कब्जाधारियों के कब्जों को नियमित करने के लिए नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भाजपा विधायक महेश्वर सिंह की ओर से पूछे सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री कौल सिंह ने जानकारी दी कि सरकारी भूमि पर लघु और सीमान्त कृषकों के लिए साम्पन्तिक अधिकार प्रदान करना नियम, 2017 का प्रारूप बनाया है।

उन्होंने बताया कि इन नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, क्योंकि मामला अभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

उन्होंने लिखित में बताया कि सरकार ने इन नियमों को अन्तिम रूप देने हेतु जन साधारण से सुझाव एवं आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति/आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। चूंकि मामला न्यायालय में न्यायधीन है।

अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली से जुड़ने वाली पहली पुलिस चौकी बनी संजौली

शिमला/शैल। शिमला की संजौली पुलिस चौकी अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) से जुड़ने वाली देश की पहली पुलिस चौकी बन गई है। इससे मुख्यमंत्री द्वारा गत वर्ष बजट में की गई घोषणा पूरी हुई है।

इस पुलिस पोस्ट के माध्यम से लोगों को ऑनलाईन/ऑफलाईन शिकायतें दर्ज करने, नौकरी के लिए पुलिस सत्यापन, किराएदारों का पंजीकरण, चरित्र सत्यापन तथा अप्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पुलिस चौकी को जोड़ने वाली इस सीसीटीएनएस प्रणाली का लोकार्पण किया।

कुल्लू जिला की पुलिस चौकी मणिकर्ण, सोलन शहर की पुलिस चौकी तथा कांगड़ा जिला की डाडासीबा पुलिस चौकी को भी सीसीटीएनएस से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र के लोगों विशेषकर बुजुर्गों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों व महिलाओं को इसके माध्यम से नजदीकी पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज करवाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश की समस्त पुलिस चौकियों को सीसीटीएनएस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार जब पुलिस चौकी सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर से जुड़ जाती है तो पुलिस के पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा दैनिक रोजनामचा/डायरी को ऑनलाईन देखा जा सकता है और स्टाफ की निगरानी आसानी से की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में वर्ष 2015 में इस प्रणाली को शुरू करने के साथ ही पुलिस चौकियों को इस प्रणाली से जोड़ने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया था।

पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत यह एक मिशन मोड परियोजना है, जिसकी परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य लोगों तक तत्काल एवं पारदर्शी पहुंच बनाने के साथ-साथ पुलिस विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा कानून व व्यवस्था में सुधार लाना है।

ईबीएसबी योजना के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी. सी. फारका ने कहा कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) योजना के अन्तर्गत पर्यटन व सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम व पर्यटन निगम केरल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय एकता मॉडयूल को शामिल कर स्कूलों व उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामायिक पाठयक्रम और कार्यक्रमों के लिए कलेण्डर तैयार किया जाएगा।

ईबीएसबी के महत्व को बताते हुए फारका ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ कर क्षेत्र की संस्कृति, पर्यटन, भाषा, शिक्षा, व्यापार आदि का आदान-प्रदान किया जाएगा और नागरिक अधिक राज्यों की सांस्कृतिक विविधता से परिचित हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक परम्पराओं के ज्ञान से आपसी ताल-मेल को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में आपसी सद्भाव बढ़ने से देश की एकता व अखण्डता सुदृढ़ होगी।

मुख्य सचिव 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' से सम्बन्धित तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यह बैठक हिमाचल प्रदेश व केरल के बीच आयोजित होने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों का सहयोगी राज्य केरल के साथ आदान-प्रदान, महाविद्यालयों तथा उच्च पाठशालाओं के विभिन्न प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमों के लिए अध्यापकों का आदान-प्रदान है। केरल में हिमाचल मेला आयोजित किया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी केरल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की उपलब्धियों के अतिरिक्त हस्तशिल्प हथकरघा, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आयुर्वेद व नेचरोपैथी की विभिन्न क्रियाओं को सांझा किया जाएगा।

प्रधान सचिव शिक्षा आर.डी. धीमान, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन दिनेश मल्होत्रा, राज्य परियोजना निदेशक घनश्याम चंद, निदेशक भाषा एवं संस्कृति शशि ठाकुर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को 19.26 करोड़ की राशि जारी

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी.एस. बाली के आश्वान के अनुरूप निगम ने अपने पेंशनरों को पेंशन की अदायगी के लिये 19.26 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। यह राशि निगम के 4922 पेंशनरों को दिसम्बर, 2016 तथा जनवरी, 2017 दो माह की पेंशन प्रदान करने के लिए जारी की गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि निगम समय-समय पर अपने कर्मियों को उनके सेवा लाभ प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि निगम ने करोड़ों रूपये की पिछली देनदारियों को निपटा कर अपने कर्मियों को उनके देय लाभों से कभी वंचित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कर्मियों की मेहनत के कारण ही पिछले चार वर्षो के दौरान निगम के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। केएमपीएल में बढ़ौतरी एवं सुधार से निगम ने अच्छा राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में हजारों नई सुविधाजनक बसें जोड़ी गई है, जिससे लोगों में पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने की विश्वसनीयता बढ़ी है और आरामदायी एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा सुनिश्चित बनाई गई है।

कम्प्यूटर व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति एक माह के भीतर: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कम्प्यूटर व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक माह के भीतर नीति को तैयार किया जाएगा। बैठक

में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लम्बे समय से कार्य कर रहे पंचायत चौकीदारों को नियमित करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक पग उठाते हुए नीति बनाई जाएगी। पंचायत चौकीदारों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में उनके मानदेय को 2050 रुपये से बढ़ाकर 2550 रुपये किया है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों विशेषकर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए अलग प्रावधान किया जाएगा और पेंशन हैड के तहत उपलब्ध धनराशि को किसी अन्य कार्य पर उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को समय पर पेंशन भुगतान प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा रखे गए अध्यापकों को अन्य स्थानों पर बदलने व स्थानान्तरित न करने के भी निर्देश दिए, क्योंकि वे दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि एसएमएस अध्यापकों की सेवाओं को सत्र 2017-18 में भी जारी रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पंचायतों द्वारा रखे गए वाटर गार्डों के लिए नीति तैयार करने को भी कहा, परन्तु उनके मानदेय की अदायगी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाओं को परिभाषित और मुख्यधारा में जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उन्हें लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी ताकि इस मामले का निदान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की पदोन्नति शर्तों में छूट देने पर कहा कि सरकार ने 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष तक वर्क इंस्पेक्टर व सर्वेयर के पदों पर सेवा देने वाले को जेई पद पर पदोन्नति के लिए छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

बावा हरदीप सिंह ने इस अवसर पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिहाड़ी को 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि वाटर कैरियर के नियमितिकरण के लिए निर्धारित शर्त को 14 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने पम्प आप्रेटरों के नियमितिकरण की सेवा अवधि को भी कम करने का आग्रह किया। उद्योग विभाग के निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को अन्य मांगों के बारे में जानकारी दी। बैठक में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी व विभिन्न संघों व एसोसियेशन के प्रतिनिधि उपस्थिति थे।

स्मार्ट शिमला के लिए 2906 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार

शिमला/शैल। शिमला शहर को स्मार्ट शिमला में बदलने के लिए 2906 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि शिमला को शहर के विकास के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण में शामिल एक लाख से अधिक लोगों के सुझावों के आधार पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके।

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने राज्य स्तरीय हाई पावरड स्टीरिंग कमेटी की अध्यक्षता की और नगर निगम शिमला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि 2906 करोड़ रुपये में से 1252 करोड़ रुपये लोअर बाजार, सब्जी मंडी, गंज तथा कृष्णानगर के पुनर्विकास पर खर्च किया जाएगा। इन स्थानों पर होटलों के निर्माण व व्यावसायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान है।

शहर के सड़क नेटवर्क को चौड़ा किया जाएगा और वर्तमान सड़कों को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकुलर सड़कों में रेट्रोफिटिंग और शहर में तीन ट्रांसजिट कॉरिडोर पर 1280 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें शामिल चार सड़कें संजौली से मशोबरा, छोटा शिमला से कसुम्पटी, सरकुलर रोड़ व पुराना बस अड्डा सड़क, जो कुल 41 किलोमीटर है।

यातायात प्रबन्धन, नागरिक सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करने, वाई-फाई प्रणाली व नागरिक परिवहन सुधार के लिए 197 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

उन्होंने अधिकारियों को ऐसा म डल सृजित करने को कहा, जो संभावित भूकम्प के समय लाभदायक हो। अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रबन्धन के तहत 15 सुरक्षित शैल्टर का निर्माण किया जाएगा। भू-स्खलन बारे सचेत करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर भू-स्खलन सेंसर भी स्थापित किए जाएंगे।

नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने कहा कि प्रस्ताव पर शहर के सभी 25 वार्डों में चर्चा की गई और नगर निगम द्वारा इसे पारित किया गया।

नेरवा बस डिपो कागजों में ही सिमट कर रह गया:अमित सिंह चौहान

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला महासू के उपाध्यक्ष अमित सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार चौपाल विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव कर रही है। उन्होने कहा कि नेरवा बस अड्डा निर्माण के लिये व नेरवा में हि. प्र. पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप के लिये 2017-18 के बजट में शून्य प्रावधान किया गया है। बस स्टैण्ड निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेन्स भी नहीं हुआ है। उन्होने आरोप लगाया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिये जनवरी 2017 में 28 बसों का आंबटन किया गया जबकि शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लिये मात्र चार बसों का आंबटन किया गया। चौपाल उप-मण्डल में बसों की भारी कमी है तथा यात्री बसों की छतों पर यात्रा करते हैं। उन्होने कहा कि नेरवा में हिमाचल पथ परिवहन निगम के सब डिपो का दो वर्ष पूर्व परिवहन एंवम् खाद्य आपूर्ति मन्त्री जी एस बाली ने अपग्रेड तो कर दिया परन्तु स्टाफ एंवम बसों की व्यवस्था नहीं की गई। बस डिपो केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है।

जल विद्युत उत्पादन पहाड़ी राज्य की रीढ़:वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हालांकि विश्व भर में ऊर्जा के नवीकरण स्त्रोतों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, परन्तु फिर भी पहाड़ी राज्य विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जल विद्युत उत्पादन आज भी इसकी रीढ़ है।जल विद्युत के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है और प्रदेश में पांच नदियां बहती हैं, जिनमें जल विद्युत की आपार संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री हिम ऊर्जा तथा केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ग्रीड कनेक्टिड रूफटॉप सौर प्रोग्राम' पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शत-प्रतिशत स्वच्छ विद्युत नीति लागू की गई है और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत उत्पादन की सभी आवश्कताओं को पूरा करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सौर ऊर्जा के मुकाबले की जल विद्युत विशेषकर छोटे जल एवं नवीकरण ऊर्जा की क्षमता सीमित है, क्योंकि सौर ऊर्जा पूरे प्रदेश में बारहमासी है व समान रूप से वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल सौर ऊर्जा ही विद्युतीकरण से छूटी गई बस्तियां, जो कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रही हैं, के लिए एक विकल्प है। उन्हें सौर फोटोवॉल्टिक अनुप्रयोगों के माध्यम से निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा उत्पादक उत्पादित विद्युत को अपनी इच्छा के अनुरूप प्रदेश के अन्दर किसी भी उपभोक्ता व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को बेच कर अपनी आय सृजित कर सकते हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि कुछ माह को छोड़ कर शिमला सौर रूफटॉप ऊर्जा के लिए अनुकूल है और यह एक लाभदायक व्यापार है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पिति में सौर ऊर्जा की आपार संभावनाएं हैं और वह दिन दूर नहीं है, जब हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन आरम्भ होगा। हिम ऊर्जा तथा विद्युत बोर्ड को इस क्षेत्र में आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने कहा कि जीवाश्म ईधनों के प्रभाव को कम करने की जरूरत है और विश्व सौर ऊर्जा अपनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा की आपार संभावना है और रूफ टॉप सौर कार्यक्रम से लोगों को बिजली के भारी भरकम बिलों से राहत मिलेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत तरूण श्रीधर ने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, जो जल विद्युत उत्पादन के कारण संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा भी नवीकरण ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है, परन्तु जल विद्युत ऊर्जा की पूरी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन में देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है और हमें सौर ऊर्जा के लिए वैश्विक बाजार के अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि सौर ऊर्जा लाभदायक हैऔर इसके माध्यम से गुणात्मक और निरन्तर विद्युत उपलब्ध होती है।

इससे पूर्व, हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानु प्रताप ने रूफटॉप सौर कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिम ऊर्जा शीघ्र ही तीन मैगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए वचनबद्ध है।

उप महापौर टिकेन्द्र पंवर, निदेशक हिम ऊर्जा के.एल.ठाकुर, विशेष सचिव ऊर्जा अजय शर्मा व अन्य हितधारक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल में केवल बीएस-फोर वाहन पंजीकृत होंगे:जी.एस. बाली

शिमला/शैल। प्रदेश में भारत स्टेज-फोर के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानक अनिवार्य किए गए हैं, जिन्हें एक अप्रैल, 2017 से प्रदेश भर में लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में केवल उन्हीं नवनिर्मित चार पहिये वाहनों को पंजीकृत कर सड़कों पर चलने की स्वीकृति दी जाएगी, जो बीएस.फोर मानकों पर खरे उतरेंगे।

परिवहन मंत्री जी.एस.बाली ने कहा कि प्रदेश में चलने वाले वाहनों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह कदम मील पत्थर साबित होगा तथा कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के आक्साइड तथा सल्फर, जो बीएस-फोर ईधन के मुकाबले बीएस-थ्री ईधन में ज्यादा पाया जाता है, के उत्सर्जन को कम करेगा। वर्तमान में प्रदेश में बीएस-फोर अनुवर्ती पेट्रोलियम ईधन का पर्याप्त भंडार है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में संशोधन के पश्चात पथ परिवहन एवं उच्च मार्गो के केन्द्रीय मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2015 को अधिसूचना जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों के जिलों में सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-फोर को अनिवार्य किया गया। अधिसूचना के अनुसार एक अक्तूबर, 2015 को अथवा उसके पश्चात निर्मित चार पहिया वाहनों को बीएस-फोर उत्सर्जन के मानकों पर खरा उतरना होगा, परन्तु अन्तरराज्जीय परमिट/राष्ट्रीय परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले चार पहिया परिवहन वाहनों पर यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब जबकि बीएस-फोर अनुवर्ती पैट्रोलियम ईधन पूरे देश में उपलब्ध है, तो एक अप्रैल, 2017 से सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-फोर को समग्र देश में लागू किया जाएगा।

बाली ने कहा कि क्योंकि अब प्रदेश में केवल बीएस-फोर वाहनों का ही पंजीकरण होगा, इसलिए लोगों को इन्हीं वाहनों को खरीदना चाहिए। बीएस-थ्री वाहनों को खरीदने के इच्छुक चार पहिया उद्यमियों/उत्पादकों द्वारा किसी भी प्रकार के दवाब को सहन नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की प्रदूषणमुक्त छवि की कल्पना को साकार करने में यह एक बड़ा कदम है।

बुद्धिमान व्यक्ति भी तब घोर परेशानी से घिर जाता है, जब वह किसी मूर्ख व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करता है कि सही क्या है और गलत क्या है.....चाणक्य

सम्पादकीय

सवालों में घिरती न्यायपालिका

अरूणाचल के पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. कालीखो पुल ने अपनी मौत से पहले साठ पन्नों का विस्तृत और हस्ताक्षित नोट लिखा है। यह नोट लिखने के दूसरे ही दिन कालीखो पुल अपने आवास पर मृत पाये गये थे। उनकी मौत के बाद सामने आये इस नोट में उन्होने प्रदेश और देश की राजनीति मे फैले भ्रष्टाचार को पूरी बेबाकी से बेनकाब किया है। राजनीति में फैले भ्रष्टाचार के साथ न्यायपालिका कैसे परोक्ष/अपरोक्ष में सहयोगी और भागीदार बन गयी है इसका भी पूरा खुलासा इस नोट में है। पृल के इस नोट में लगाये गये गंभीर आरोपों पर कहीं से कोई जबाव नही आया है। राजनेंताओं पर आरोप लगना कोई नयी बात नहीं है। क्योंकि राजनीति में हर राजनीतिक दल की प्राय यही हकीकत है कि चुनावों में वह दागी छवि के लोगों को अपनी-अपनी पार्टी के टिकट पर चुनावों में उतारते ही हैं। इसी कारण आज संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक गंभीर अपराधी छवि के लोग माननीय बनकर बैठे हैं। आपराधिक मामले झेल रहे जनप्रतिनिधियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों को ऐसे मामलों को एक वर्ष के भीतर निपटाने के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन इन निर्देशों की कितनी अनुपालना हो पायी है इस बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है क्योंकि इस पर अमल नही हुआ है। अधीनस्थ अदालतों में आज भी जनप्रतिनिधियों के मामले कई वर्षो से लंबित चले आ रहे हैं। हिमाचल में ऐसे लंबित चल रहे मामले सबके सामने हैं। इससे यह प्रामणित होता है कि भ्रष्टाचार के प्रति गंभीरता के आईने में न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के ही चेहरे एक बराबर प्रश्नित हैं।

स्व. कालीखो पुल के बाद जस्टिस करनन का किस्सा सामने है। जस्टिस करनन और सर्वोच्च न्यायालय में आमने-सामने की स्थिति आ गयी है। जस्टिस करनन को मानहानि के मामले में किस तरह से पेश आना चाहिये? उनकी और सर्वोच्च न्यायालय की वैधानिक सीमायें क्या हैं इस बारे में आम आदमी को कुछ लेना देना नही है इस संबंध में जो भी कानून है उसकी अनुपालना की जानी चाहिये उसमें किसी का भी अनाधिकारिक दखल नही हो सकता। लेकिन जो आरोप जस्टिस करनन ने कुछ न्यायधीशों पर लगाये हैं आम आदमी की चिन्ता का विषय यह है। क्योंकि न्यायपालिका के शीर्ष न्यायधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से आम आदमी का न्यायपालिका पर विश्वास बनाये रखना कठिन हो जायेगा। जस्टिस करनन के आरोपों की ही तरह स्व. कालीखो पुल द्वारा लगाये गये आरोप हैं। इन दोनों के आरोपों को यदि इक्कठा रखकर देखा जाये तो स्थिति बेहद चिन्ताजनक हो जाती है। कालीखो पुल के आरोपों को वहां के राज्यपाल ने भी गंभीर माना था क्योंकि उनके पास स्थानीय एसडीएम की रिपोर्ट आ चुकी थी। केन्द्र के धन का दुरूपयोग किया गया है। केन्द्र के धन के दुरूपयोग के आरोपों पर मोदी सरकार का भी चुप्प बैठ जाना अपने में ही कई और सवाल खडे कर देता है।

स्व. कालीखो पुल और जस्टिस करनन ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाये हैं उनकी ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नही आयी है। किसी ने भी यह कहने का साहस नही किया है कि यह आरोप गल्त हैं। जस्टिस करनन का यह कहना कि वह दलित हैं इसलिय उनके साथ यह ज्यादती की जा रही है यह तर्क किसी भी तरह स्वीकार्य नही हो सकता। क्योंकि वह दलित होने के बाद ही उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद तक पहुचे हैं। इसीलिये दलित होने का तर्क जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसी के साथ जिस तरह वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने उनकी निन्दा की है उसे भी स्वीकारा नही जा सकता। किसका कानूनी अधिकार क्षेत्र कितना और क्या है? किसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिये थी क्या नहीं? यह सारे प्रश्न आरोपों की गंभीरता के आगे बौने पड़ जाते हैं। आम आदमी इन आरोपों की एक निष्पक्ष जांच चाहता है। जिससे आरोपों की सत्यता प्रमाणित हो सके। ऐसे आरोपों की जांच के लिये वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जो आम आदमी के लिये अपनायी जाती है। अर्थात जांच ऐजेन्सी में विधिवत मामला दर्ज करके जांच शुरू की जाये। स्व. कालीखो पुल ने जो आरोप लगाये हैं उनसे जुड़े सारे प्रमाण वहां राज्य में मौजूद हैं। स्व. पुल के नोट को डांईग डक्लारेशन मानकर जांच की जानी चाहिये। जस्टिस करनन ने जिनके खिलाफ आरोप लगाये हैं उनसे आरोपों के बारे में पूरी गंभीरता से पूछा जाना चाहिये और जस्टिस करनन तथा आरोपीयों से आमने-सामने सवाल-जबाव होने चाहिये। यदि न्यायपालिका पर विश्वास बनाये रखना है तो यह अति आवश्यक है कि आम आदमी के सामने सच्चाई आये। यदि ऐसा न हुआ तो अराजकता का एक ऐसा दौर शुरू होगा जिसकी कल्पना करना भी कठिन होगा।

हिमाचल में पारम्परिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की बढ़ती लोकप्रियता

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना विकसित करने के साथ-साथ गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने, बेहतर अधोसंरचना, अनुसंधान सुविधाएं और स्वास्थ्य संसाधनों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं अन्य पेरामैडिकल स्टॉफ की तैनाती के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने साथ-साथ नये स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहें हैं। राज्य सरकार के सशक्त प्रयासों की बदौलत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मानकों में देश भर में अग्रणी बन कर उभरा है।

राज्य में विशाल हर्बल संपदा विद्यमान है, और प्रदेश सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा परिसंपतियों के समुचित दोहन के प्रति वचनबद्ध है। इन बहुमूल्य परिसंपतियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पद उठाए गए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति ने नये आयाम स्थापित करने के लिए आयुर्वेदिक अधोसंरचना विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपेथी की स्वास्थ्य उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वर्तमान में प्रदेश में 33 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1204 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 4 अमाची स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार ने 43,65,587 रोगियों का सामान्य चिकित्सा उपचार, 23,893 रोगियों का पंचकर्मा तथा 19,224 रोगियों का क्षारसूत्र करवाया है, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान अभी तक 43.54 लाख रोगियों का चिकित्सा उपचार किया गया है। काया-चिकित्सा, आर्थो, शल्य तथा शालक्य तन्त्र विशेषज्ञों द्वारा राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों पूह, सांगला और रिकांगपिओ में बहु-उद्देशीय शिविरों का नियमित तौर पर आयोजन किया जा रहा है। गत वर्ष कुल्लू दशहरा के दौरान मडिसिन, सर्जरी, आंख, नाक व कान, प्रसूति तन्त्र, स्त्री रोग, योग, नैचरोपैथी व क्षारसूत्र विशेषज्ञ शिविरों का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त, हर्बल मेडिसिनल पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

आयुर्वेद विभाग ने राज्यों में हर्बल सम्पदा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में हर्बल गार्डन स्थापित किए हैं, जिनमें हर्बल गार्डन जोगेन्द्रनगर, नेरी, हमीरपुर, शिमला जिला के धुमरेरा 'रोहडू' व बिलासपुर जिला के जंगल तलेड़ा शामिल हैं। संबंधित कृषि जलवायु क्षेत्रों में पौधों की वास्तविक प्रजातियों की पहचान के दृष्टिगत राज्य सरकार औषधीय पौधों को उगाने के लिए कृषि तकनीक को विकसित कर रहीं है, ताकि प्रदेश के लोगों की आय को बढ़ाया जा सके। प्रदेश में लोगों में विभिन्न औषधीय पौधों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

आयुर्वेद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने राजकीय राजीव गांधी सनात्कोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में अगले शैक्षणिक सत्र से आयुर्वेद चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, स्नातक की सीटों को 50 से बढाकर 60 किया गया है। इसके अतिरिक्त, काया चिकित्सा, शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तंत्र, संहिता तथा सिद्धांत, द्रव्य गुण, रोग निदान स्वास्थ्य वृत्ता, पंचकर्म बालरोगड, रास शास्त्र में भी स्नातकोत्तर सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार ने जोगेंद्रनगर में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम आरंभ किया है जिसमें 30 विद्यार्थीयों के अध्ययन की क्षमता है।

विभाग राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे जननी शिशु योजना, परिवार कल्याण, अनिमिया मुक्त, एड्स उन्मूलन तथा पल्सपोलियो जैसे अभियानों में शामिल होकर प्रदेश के अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर रहा है। जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के जनजातीय तथा दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सुविधा के लिए आमची स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें मौसमी तथा जीर्ण बीमारियों का भारतीय चिकित्सा पद्धति संस्थानों से संबंधित स्वदेशी प्रणाली से स्वास्थ्य उपचार किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न आयुर्वेदिक अस्पतालों में 17 स्थानों पर पंचकर्मा विशेषज्ञ सेवाएं तथा 9 क्षारसुत्र इकाईयां स्थापित की गई हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ जैसे पंचकर्म क्षारसुत्र उपचारात्मक योग इत्यादी सेवाएं भी कुछ आयुर्वेदिक अस्पतालों में प्रदान की जा रही है। आयुर्वेदिक अस्पतालों में प्रशिक्षित पैरा-मेडिकल कर्मचारी तैनात किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने चार आमची स्वास्थ्य केंद्र, तीन युनानी स्वास्थ्य केंद्र और एक औषधी परीक्षण प्रयोगशाला मण्डी जिला के जोगेन्द्रनगर में स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, तीन विभागीय आयुर्वेदिक फार्मेसी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर प्रदेश में नि:शुल्क वितरित कर रही हैं। ये फामसियां सिरमौर जिला के माजरा, मंण्डी जिला के जोगेंद्रनगर तथा कांगड़ा जिला के पपरोला में स्थापित की गई हैं।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-PRECUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS(IFB)

1. Executive Engineer HPPWD Theog Distt. Shimla (HP) on behalf of Governor of H.P. Re-invites the online bids in item rate in electronic tendering system in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors /Firms registered with HPPWD Department .

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Allowed	Cost of Tender	Eligible Class of Contractor
M/T on Nahol Satog road km 0/0 to 8/0 (Portion Bajashra to Juggar) SH-: P/C WBM, G-and Tarring in km 0/0 to 1/0)		12,79,561/-	25,600/-	Six Months	500/-	Class-D

2. Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in. Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.govt.in. in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates:-

1. Date of Online Publication :	05/04/2017 10:00 HRS
2. Document Download Start and End Date.	05/04/2017 18:00 HRS upto. 17/04/2017 18:00 HRS.
3. Bid Submission Start and End Date	17/04/2017 18:00 HRS.
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document.	19.04.2017 10:30 HRS
5. Date of Technical Bid opening Evaluation of Technical Bid followed by opening of Financial Bid	19.04.2017 11:00 HRS.

4.Tender Details:-
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.
i) Cover -1 Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information"
(iii) Cover -2:- Shall contain. **"BOQ/Financial Bid"** where contractor will quote his offer for each item.

5.SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other. Technical Documents in the **O/o Executive Engineer Theog Division Division HPPWD Theog.** as specified in Key dates Sr.No.4 on Tender Opening Date, Failing which the bid will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 19.04.2017 at 11:00 HRS in the office. In the office of **Executive Engineer, Theog Division HPPWD Theog (HP)** by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tender. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **90 days** after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.- 4828/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

कालीखो पुल का मृत्यु से पहले लिखा नोट

कालीखो पुल अरूणाचल के मुख्यमन्त्री थे। उन्होने अरूणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। लेकिन इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता जब सामने आयी तब सारे भ्रष्ट तत्वों ने सरकार के तख्ता पलट का षडयंत्र रच दिया। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। खो को पद त्यागना पड़ा। इस परिस्थिति में खो के पास दो विकल्प थे एक था अदालत में लड़ाई लड़ने का और दूसरा था सारी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने रखने का। उन्होने दूसरा विकल्प चुना एक 60 पन्ने का विस्तृत नोट लिखा। 8 अगस्त को यह नोट लिखा गया और 9 अगस्त को वह अपने आवास पर मृत पाये गये। यह हत्या थी या आत्महत्या अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है लेकिन उनका यह हस्ताक्षरित पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिये इस नोट को पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

गंताक से आगे.....

तकि राज्य में सही समय में फिर से चुनाव हो सके जिसमें नये चेहरे, अच्छे पढे – लिखे नेक इंसान हो, अच्छी सोच – विचार वाले अपने जिन्दगी में संघर्ष किये हो उन्हें मौका मिले जिससे राज्य की गरीब जनता का हित और विकास हो सके।

कांग्रेस – एक छात्र रहते हुए मै कांग्रेस से जुडा था और आज कांग्रेस में रहते हुए मुझे 33 साल हो गये है। कांग्रेस से जुडने के पीछे एक कारण था।

वह मान मर्यादाओं, विचारों, आदर्शो और देशभक्ति का दौर था। 7 मार्च 1986 में राजीव गांधी तेजू आये थे। उनका स्वागत करने के लिए मै भी हाथ में तिरंगा झंडा लिए खड़ा था। मैने तिरंगा झंडा राजीव को भेंट किया और उन्होने कहा कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे आदमी बनो। उस दिन उन्होने अपने भाषण में 3 बातें कही थी।

1. अरूणाचल भारत का अभिन्न अंग है।
2. दिल्ली दूर है पर मेरे दिल से दूर नहीं हो।
3.हम केन्द्र से 100 रूपये भेजते है लेकिन यहां सिर्फ 25 रूपये ही पहुंचते है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगे।

इन सब बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैं कांग्रेस से जुड़ गया । आज मैं 1995 से लगातार Hayuliang से चुना गया हूं और राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से जीतता आ रहा हूं लेकिन आज दुःख होता है कि इतने बड़े कांग्रेस परिवार को जनता की सेवा करने वाला नही बल्कि भ्रष्ट और बदमाश लोग चाहिए। आज नेता सेवक नहीं दलाल बन गये है। Business कर सिर्फ अपना स्वार्थ ही देख रहें है।

तब राजनीति में सिद्धांतो, नीतियों और विचारों पर बहस होती थी। आज आरक्षण, Fund, धर्म – मजहब, जाति, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर वोट बटोरने का काम करते है और गरीबों की लाचारी पर राजनीति होती है। वह भी एक दौर था। यह भी एक दौर है।

वर्ष 2008 में दोरजी खांडू के कहने पर व मजबूरी वश में खुद 4 बार मोतीलाल बोहरा को रूपये पहुंचाने गया था। जिनका कुल 37 करोड़ रूपये होता है।

वर्ष 2009 में राज्य को एडवांस 200 करोड़ रूपये का लोन देने पर दोराजी खांडू के कहने पर मैने श्री प्रनब मुखर्जी (तब वित्त मंत्री को 6 करोड़ रूपये इस पते पर दिए थे।

Vatayal 802/7
Kavi Bharti Sarani
Kolkata – 700029

वर्ष 2015 – 16 के बीच मै 13 महीनों के लिए दिल्ली में था जिसमें मैं कांग्रेस के निम्न नेताओं से मिला

नारायण स्वामी से 13 बार मिला
कमल नाथ से 4 बार मिला
सलमान खुर्शीद से 5 बार मिला
गुलाम नबी आजाद से भी 5 बार मिला था।

लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुझसे नहीं मिले थे। एक ओर सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद ने मेरी बातें सही से सुनी और मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन नारायण स्वामी ने 110 करोड़ रूपये पार्टी फण्ड और खुद के लिए मागे थे, जिसे उन्होंने personal staff BS Yadav के Through से मांगे थे, Sagar Ranta (South Indian Restaurant) में कई बार मुझे बुलाया और अपनी मांग बताई। कपिल सिबल ने 9 करोड़ रूपये मागे थे। जब कमल नाथ से मिला तब उन्होने भी 130 करोड़ रूपये के लिए मुझसे कहा था। जिसे उन्होने Anupam Garg, Mr. Miglani और Navin Gupta से कहलवा कर मागे थे।

इन सभी बातों का मुझे बहुत ही गहरा दुःख हुआ था। मै बहुत दिनों तक गहरी सोच और चिंता में डुबा रहा। पार्टी ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला फिर भी मैं 3 बार कोर्ट केस जीत कर आज भी कांग्रेस पार्टी से जुडा हूं। सच पूछो तो मैने कांग्रेस का असली चेहरा देखा है और अब मेरी कांग्रेस में और राजनीति में रहने की इच्छा ही नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और ना ही निभा रहे है। मै खुद को बहुत ही अभागा समझता हूं कि मै इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा। ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा जिसने मुझे खून, मशक्त, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नही दिया। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा ढांचा ही भ्रष्ट है।

कानून – एक लोकतंत्र में कानून और न्याय का महत्व सबसे ऊपर रहता है। अगर कानून और न्यायालय न हो तो लोकतंत्र का चलना मुमकिन नहीं हैं। न्यायालय का काम है आम जनता, गरीब और असहाय लोगों को उसका हक दिलाना। उसी मदद करना और बचाव करना है।

जबकि मैने इसके बिल्कुल उल्टा होते देखा है। न्याय के दलालों को देखा और न्याय को बिकते देखा है। आज कानून खुद न्याय का दलाल बन बैठा है।

अरूणाचल राज्य में हुए PDS घोटाले केस को राज्य सरकार ने गलत बताया FCI ने गलत बताया और केन्द्र सरकार ने भी गलत बताया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को खुला छोड़कर उनका पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया। जिससे राज्य का विकास कोष खाली हो गया। Chief Justic Altamas Kabir ने 36 करोड़ रूपये की घूस लेकर गलत फैसला दिया था। जिसे उन्होने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था। जबकि वह फैसला गलत था। chief Justic Altamas Kabir अपने फैसलों से पहले भी विवादों में रहें है।

वर्तमान अदालत मामले

16 – 17 को हुई विधानसभा में नबाम तुकी सरकार को Vote of confidence से हटाया गया।

इस पर नबाम तुकी कोर्ट से Stay लेकर आ गये, और उनकी सरकार चलती रही। इसके साथ स्पीकर नबाम रिबिया भी अपने पद पर बने रहे। इतना कुछ होने पर भी हमने सरकार नहीं बनाई।

13 जनवरी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस Stay को खारिज कर दिया और Petition भी खारिज की गयी। इस पर नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद भी उनकी सरकार चलती रही।

गुवाहटी हाईकोर्ट के फैसले पर भी हमने सरकार नहीं बनाई।

इसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ते गयी। राज्य के हर कोने में घटनाएं बढ़ने लगी। यहां तक की गवर्नर से भी बदसलूकी की गयी। राज्य में शांति व्यवस्था नहीं रही। हर दिन हडतालें होने लगी। Financail crisis आ गया और राज्य की हालत दिन ब दिन खराब होते गयी।

अगर 16 – 17 दिसम्बर को हुई विधानसभा को मान्य नहीं माना गया, जिससे पिछले 6 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं हुआ। जिसके चलते राज्य में Constitutional crisis भी पैदा हो गया।

और राज्य में बढ़ती वारदातों और घटनाओं को देखकर 26 जनवरी को राज्य में president rule लगाया गया। जिसके कारण नबाम तुकी सरकार हटी।

फरवरी को राज्य में president rule हटाया गया। राज्य में president rule हटने के बाद हमने 33 विधायकों के साथ नयी सरकार बनाने की पेशकश की। इस पर राज्यपाल जी ने हमें सरकार बनाने का न्यौता दिया और 10 दिनों में बहुमत सिद्ध करने को कहा गया।

सात दिनों में ही यानि 25 फरवरी को सदन में हमने अपना बहुमत सिद्ध किया।

हमारी सरकार कहीं भी गलत कारणों से नहीं बनी थी, हमने हमेशा संविधान, कानून, न्याय और निति को मानते हुए काम किया और सकरार बनाई।

जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया फैसला इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 (पांच) जज की संविधान बेंच में यह बाते कही– 1. राज्यपाल के Preponing को खारिज। 2. राज्यपाल के Message को खारिज किया।

3. पहले और दूसरे (1&2) को ध्यान में रखते हुए (16 – 17)(हुए सत्र को खारिज किया।

4. पहले, दूसरे और तीसरे (1,2&3) को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के फैसले को खारिज किया।

विधानसभा के फैसले को खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कही और कैसे भी मेरी सरकार के खिलाफ कुछ भी नही कहा गया और कुछ गलत आदेश नही दिया सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में लागू President Rule के बारे में भी कुछ नही कहा। 25 फरवरी को विधानसभा में हुए Floor Test जो कि 6th Legislative Assembly का 7th Session था, जिसके बारे भी कुछ नही कहा। इसके बाद विधानसभा में बजट सत्र हुआ, बजट पारित हुआ जो 6th Legislative Assembly का 8th Session था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।

इस केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था, हमारे संविधान में दिय गये यह कानून बहुत ही आम है और बच्चे – बच्चे इन कानूनों से वाकिफ है।

Article 174 - (The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at Such time and place as the thinks fit.) राज्यपाल को यह पॉवर है कि वह विधानसभा को नियमित अंतराल से चलाये। राज्यपाल विधानसभा में कोई बाधा होने पर अपने हिसाब से समय और जगह तय कर सत्र बुला सकते है।

Article 175- (The Governor may sent messages to the House or House of the Legislative of the state, Whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration) राज्यपाल विधानसभा के दोनों हाऊस का अपना Message भेज सकते है सत्र में भेजे गये मेसेज को हर हाल में अमल में लाना होगा।

Article 163- मुख्यमंत्री या उनके मंत्री परिषद राज्यपाल से सलाह ले सकते है। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा होता है। तो राज्यपाल का फैसला ही अटल व मान्य होगा। इसके लिए राज्यपाल के फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

हमारे देश के संविधान में बताये गये यह कानून किसी राज्य मे सरकार गिरने या Minority में होने और राज्य में किसी तरह की crisis आने पर राज्यपाल को यह अधिकार रहता है कि वह राज्य में विधानसभा के सत्र को बुलाकर, मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकते है।

इस केस में सिर्फ नबाम तुकी को ही हटाने की बात नहीं कि बल्कि स्पीकर नबाम रिबिया को भी हटाने का प्रस्ताव था। यह जानकर नबाम रिबिया ने एक महीने की जगह दो महीनों से भी ज्यादा समय देकर विधानसभा सत्र बुलाया जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कर वह विधायकों को खरीद – फिरोक करने में अपने भाई नबाम तुकी की मदद कर रहा था।

जबकि स्पीकर को हटाने के नोटिस और प्रस्ताव आने के सिर्फ 14 दिन बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को Preponing किया। राज्यपाल ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला मिलने पर मेरा न्यायालय से विश्वास ही उठ गया है। मुझे दुःख तो इस बात का है कि अरूणाचल राज्य के विधायक तो बिके हुए है और बिकते है, कांग्रेस भी बिकी हुई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हुए होगे मैने नहीं सोचा था।

उन्होने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबीयों से कई बार संपर्क किया गया। उन्होने मुझसे 86 करोड़ रूपये की घूस मांगी थी। जबकि मैं एक आम और गरीब आदमी हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके फैसले को खरीद सकता और न ही खरीदना चाहता हूं।

क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है जिसको मैं खरीदकर हासिल नहीं करना चाहता हूं इसी लिए मै कोर्ट में दुबारा नही गया और न ही दुबारा अर्जी डाली।

विरेन्द्र कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रूपये मागे।

वही आदित्य मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई ने मुझसे 37 करोड़ रूपये की मांग की थी। कपिल सिब्बल – सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपनी लॉबी है। हर वकील, हर जज इन्ही के इशारे पर घूस लेकर झूठे फैसले करते है। और नाचते है।

कपिल सिब्बल ने Chartered Plane में गुवाहाटी आकर 1/2 घंटें में ही हाईकोर्ट से Keep in Abeyance order लिया था। जबकि पहले कोर्ट ने इस केस को Trun Down कर दिया था।

इस पर मैं prashant Tiwari के साथ कपिल सिब्बल से 4 बार मिला मैने सिब्बल जी को नबाम तुकी की सारी हकीकत बताई। जब मै कपिल सिब्बल से उनके घर पर (इस पते – 1 जोरबाग, मेट्रो स्टेशन के पास, अरबिन्दो मार्ग दिल्ली) मिला तब उन्होने मुझसे – 9 करोड़ रूपये की मांग की थी और उन्होने Advance - 4 करोड़ रूपये की मांग की थी। यह बात तय होने के बाद उन्होने गुवाहाटी हाईकोर्ट में Regular Hearing मे जाना छोड़ दिया ।

गुवाहाटी हाईकोर्ट में जहां कांग्रेस का वकीलों और जजों पर दबाव नहीं था। वहा हमने यह केस जीता था।

बाद में हमें यह पता चला की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा संसद सीट में जाने का लालच देकर नबाम तुकी के केस दुबारा लड़ने को कहा।

कपिल सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में जजों को पेसे देकर सारा खेल रचा और नबाम तुकी को झूठी जीत दिलाई थी और आज वह राज्यसभा के संसद बन गये। मैने अपने 31 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि न्यायालय में कांग्रेस के ही वकील और जज है जो आपस में मिले हुए है।

मुझसे जुलाई 12 तारीख की रात 9 बजे तक संपर्क किया गया कि अगर मैं एंडवास 9 करोड़ रूपये दे दूं तो फैसले को एक महीने तक टाला जा सकता है ओर मेरे पक्ष में फैसला देने पर बाकी 77 करोड़ रूपये देने की बात कही।

लेकिन मैने उनकी एक नहीं सुनी और न ही पैसे देने के लिए राजी हुआ। न्याय को डगमगाता देखकर ही मैने फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही फैसले के वापस विचार पर कोई अर्जी दाखिल की। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि न्याय और जज बिक चुके है।

आज 25 जुलाई तक जस्टिस कहर की तरफ से रामअवतार शर्मा मुझसे संपर्क कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बात कर रहें है। इस पर कब और कैसे petition डालना है इसका काम भी उन्होने खुद ही पर लिया है। इसके लिए उन्होने मुझसे 31 करोड रूपये मागे है। देश और जनता कानून के इन दलालों, सोदागरों और भ्रष्ट मद्यारों को पहचाने और अपने अंतरात्मा से न्याय के तराजू पर सच झूठ, सही गलत का फैसला करे। सरकार को जज के फैसले पर भी निगरानी रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए।

– क्रमशः –

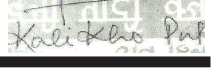

भाजपा विधायक भारद्वाज का वीरभद्र सरकार पर हमला

शिमला/शैल। प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी के नेरचौक में 850 करोड़ रुपए से बने ईएसआईसी अस्पताल में खोली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ये खुलासा विधानसभा में भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज के इस इल्जाम को कि सरकार शिमला से भेदभाव कर रही है, पर स्थिति स्पष्ट करते हुए किया। कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में चार लोकसभा हलके हैं, केवल मंडी ही ऐसा हलका है जहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इसलिए केबिनेट ने ये फैसला तर्कसंगत है।

सदन में सदन के नेता व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व आशा कुमारी सुबह मौजूद नहीं रहे वह दोपहरबाद पौने चार बजे के करीब सदन में पहुंचे। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री की जगह कौल सिंह ने विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए।

इससे पहले बजट अनुमानों पर चर्चा में भाग लेते हुए शिमला से भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने सरकार पर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया व कहा कि सरकार में रोजाना एक अतिरिक्त मुख्य सचिव जुड़ रहा हैं। वरिष्ठ आईएएस अफसर केंद्र में डेपुटशन में जा रहे हैं या फिर न्याय के लिए केंद्रीय ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा रहे है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो लोग जवाबदेह नहीं है वो सरकार चला रहे हैं। वन विभाग में पीसीसीएफ के दो पद हैं वहां पर 13 पीसीसीएफ लगा दिए गए हैं।

सुरेश भारद्वाज ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने को शिमला से अन्याय करार दिया व कहा कि अंग्रेजों के समय यहां से पांच देशों की सरकारें चलाई जाती थी। आज इंटरनेट के जमाने में प्रदेश में दो-दो राजधानी होना प्रदेश को कर्ज के गर्त में धकेलना हैं। उन्होंने सरकार पर तंज किया कि मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं होता। फैसले कहीं और लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने राजधानी की घोषणा कर दी लेकिन परिवहन मंत्री जी एस बाली और कौल सिंह ने मीडिया से कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है।

प्रदेश का कर्ज 45 हजार करोड़ के करीब पहुंच गया है। बजट में ढांचागत पूंजीगत विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश का जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है वो मोदी सरकार की ओर दी जा रही मद्द के बदौलत हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस निचले हिमाचल को केवल झुनझुना देती रही है। ये केवल भाजपा है जिसने शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा।

भारद्वाज ने कहा कि एक मंत्री के प्रेम में धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बना दिया जबकि शिमला टॉप पर थी। धर्मशाला न तो नगर निगम था और न ही जेएनएनआरयूएम में था लेकिन इसके नंबर दे दिए गए। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पूरा बुनियादी ढांचा है लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंडी बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंडी से हैं। सुपर स्पेशियलिटी और ट्रामा सेंटर को भी आईजीएमसी में स्थापित नहीं किया जा रहा है। सुपर स्पेशियलिटी को मल्याणा में ले जाया जा रहा है।

कौल सिंह ने भारद्वाज को न्यौता दिया कि वो उनके साथ चलें व आईजीएमसी में जगह बता दें तो सुपर स्पेशियलिटी वहीं बना देंगे। उन्होंने सुरेश भारद्वाज पर तंज भी कसा भी कहा कि उनके वक्तव्य से क्षेत्रवाद की बदबू आ रही हैं। कौल सिंह ने स्पष्ट किया कि ट्रामा सेंटर आईजीएमसी में ही स्थापित किया जा रहा है। 56 करोड़ से ब्लॉक बनाया जा रहा है। इसकी दो मंजिलों में ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

भाजपा विधायक ने कहा कि वो कांग्रेस का घोषणा पत्र भी साथ लाए हैं व सता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। इस पर उद्योग मंत्री ने चुटकी ली व डिप्टी स्पीकर जगत सिंह नेगी से कहा कि सदस्य को कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वापस लौटा दे। भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने इसे नीति गत दस्तावेज बनाया था। इसे वापस कैसे लौटा दें।

भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी की ओर से 2012 में तैयार की गई चार्जशीट का जिक्र भी किया और कहा कि सरकार ने जितने भी केस बनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो रहे हैं। भाजपा ने भी चार्जशीट दी है। सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। आने वाले दिनों में देखना कौन कौन तिहाड़ पहुंचते हैं।

भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी सरकार को घेरा व कहा कि जनवरी में जब बर्फबारी हुई तो शिमला में सात दिन तक बिजली-पानी व सड़कें बंद रही। आलम ये रहा कि आपदा प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष जालंधर से ब्यानबाजी करते रहे तो डीसी शिमला में नहीं थे। जबकि मुख्यमंत्री कांगड़ा के दौरे पर चले गए थे।

उन्होंने शिमला नगर निगम में वामपंथी मेयर व डिप्टी मेयर पर भी तंज कसा व कहा कि वो पिछले पांच सालों से विदेशों में ही घूमते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में जब ऐसा हाल रहा तो प्रदेश में क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता हैं।

उन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार का मसला भी उठाया व कहा कि प्रदेश में बैकडोर एंट्री का दौर चल रहा है। आउटसोर्स के जरिए बैकडोर एंट्री की जा रही है। ये नियुक्तियां किन-किन की कपनियों के सिफारिशों पर हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए।

इससे पहले प्रश्नकाल में गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने अपने चुनावी हलके में विकास के लिए कम राशि देने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक वीरेंद्र कंवर के हलके में विकास के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किया जा रहा है। उनके खिलाफ ये प्रचार किया जाता है कि उनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती है और भाजपा विधायक वीरेंद्र कंवर ज्यादा सक्षम हैं। राकेश कालिया ने स्पीकर से आग्रह किया कि उनके हलके को ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाए।

भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से कौशल विकास भते को लेकर पूछे प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कौशल विकास भते की योजना सौ फीसद हिमाचल सरकार की योजना है। इसमें मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसके लिए सौ करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। 2013 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 1 लाख 62 हजार 553 युवाओं को फायदा हुआ है।

भाजपा विधायक जयराम ठाकुर ने पार्वती कौल डैम ट्रांसमिशन लाइन के कारण गांव भारसी में करंट आने का मसला उठाया। उर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि इस बावत विभाग ने टीम मौके पर भेजी थी व मामले को सुलझा लिया गया है। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मंत्री का जवाब विरोधाभास पूर्ण है। कई गांवों में अभी भी करंट से लोगों में दहशत है। उन्होंने मांग की कि विभाग की एक टीम को वहां पर दोबारा भेजा जाए। मंत्री सुजान पठानिया ने कहा कि वो मौके पर टीम भेजेंगे। व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि अगर टीम को करंट नहीं लगा तो वो टीम को वहां नहीं रख सकते हैं। नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि उनके हल्के के बेलीराम नामक एक व्यक्ति को एसपी व डीसी के जरिए धमकाया जा रहा है। ये लाइन उसके घर के उपर से जा रही है जबकि घर लाइन बिछने से पहले का बना है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि लोगों को वहां पर उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।

इस बावत मंत्री पठानियां ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो मंत्रियों, बोर्डो , निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों व आला अफसरों के आवासों की मुरम्मत पर तिजोरी लुटा रही है जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जर्जर आवासों पर कम पैसा खर्च कर रही है। इस पर कौल सिंह ने जवाब दिया कि मंत्रियों के आवास बड़े होते हैं तो रखरखाव पर ज्यादा खर्च आता है। सरकार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उधर, बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो राजनीति से उपर उठ कर सरकार के साथ केंद्र सरकार के पास जाए और केंद्र से राज्य के लिए धनराशि मुहैया कराने का आग्रह करें।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ा है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है।

उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाने का एलान किया है इससे हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। भाजपा की पूर्व सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी साल में कर्मचारियों व युवाओं को झूठे आश्वासन देकर ठगा था। लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के लिए कौल डैम से 837 करोड़ की लागत से विश्व बैंक की परियोजना से 24 घंटों जलापूर्ति की जाएगी।

कांगेस विधायक नंद लाल ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार की ओर से खोले पटवार खानों, स्कूलों, उपमंडलों व बाकी संस्थानों को खोलने से जनता को लाभ पहुंचा है।

भाजपा विधायक वीरेंद्र कंवर ने कहा सरकार अगर जिला स्तर के अस्पतालों में अगर डाक्टर मुहैया करा दें तो छोटे स्वास्थ्य केंद्र खोलने की जरूरत नहीं है। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक गोबिंद ठाकुर ने नोटबंदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर अमर देव को एडवाइजर शिक्षा लगाने पर सवाल उठाया व कहा कि सरकार ने बृज लाल बिंटा को जो बहुत जूनियर थे, उन्हें डायरेक्टर का प्रभार दे दिया।

गोबिंद ठाकुर ने कहा कि रोहतांग के लिए केवल हिमाचल के ही टैक्सी आपरेटर्स की गाड़ियां जानी चाहिए ताकि उनके रोजगार को बचाया जा सके। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो इस पर विचार करे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री बजट में किसी भी तरह की दिशा देने में नाकाम रहे हैं।

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया है सरकार ने बाजार से कर्ज:वीरभद्र

शिमला/शैल। ज्यादा कर्जे लेने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी सरकार के वितीय प्रबंधन को फुलप्रूफ करार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उधर, केंद्र पर ठीकरा फोड़ जाने से खफा विपक्षी भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया तो कांग्रेस विधायक चुटकी लेने से बाज नहीं आए। वीरभद्र सिंह विधानसभा

में बजट अनुमानों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया जिसकी वजह ये प्रदेश को मिलने वाली प्लानिंग ग्रांट में 3000 करोड़ रुपए की सालाना कमी आ गई है।कर्जो में बढ़ोतरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 2013-14 और 2014-15 में राजस्व घाटा अनुदान में कमी हो गई और वेतन आयोग की सिफारिशें को पंजाब ने लागू कर दिया तो हिमाचल को भी इन्हें लागू करना पड़ा।

13वें वितायोग की सिफारिशों के मुताबिक प्रदेश को 2010-11 के पहले साल को राजस्व घाटा अनुदान के 2232 करोड़ मिले लेकिन आखिरी साल 2014-15 में 406 करोड़ ही मिला।

वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार में ठीकरा फोड़ना जारी रखा व कहा कि यही नहीं 2013-14 व 2014-15 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में से केवल 528 करोड़ ही मिले। ऐसे में प्रदेश में प्रदेश सरकार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन फीसद से ज्यादा का कर्ज लेना पड़ा।

इसी तरह 14वें वितायोग ने भी प्रदेश के लिए मिलने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को ओवर एस्टीमेट कर दिया।2015-16 के लिए प्रदेश को 4441 करोड़ के मुकाबले 3611 करोड़ रुपए ही मिले। इसी तरह 2016-17 में भी 4778 करोड़ के मुकाबले 4343 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। आलम ये रहा कि 14 वें वितायोग की पांच साल की अवधि के पहले दो सालों में प्रदेश को केवल 966 करोड़ रुपए ही मिले हैं।

उन्होंने कहा कि 2014-15 में सरकार कर्ज को 13 वें वितायोग की कर्ज के सकल घरेलू उत्पाद के40.1 फीसद की प्रोजेक्शन के मुकाबले कर्ज को 34.8 फीसद तक रखने में कामयाब रही।

वीरभद्र सिंह ने साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार ने जो भी कर्ज बाजार से लिया है वो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया है।

बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल व भाजपा सदस्यों ने बार बार ये मसला उठाया था कि वीरभद्र सिंह सरकार ने प्रदेश को कर्ज के गर्त में डूबो दिया है जबकि केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश सरकार को बहुत ज्यादा पैसा दे रही है। भाजपा विधायकों ने बजट चर्चा के दौरान ये भी दावा किया था कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से कर व गैर कर से आय बढ़ाने में नाकाम रहा है।

इसका जवाब देते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि 2012-13 में सरकार ने करों से 4626 करोड़ रुपया एकत्रित किया था जो 2015-16 में बढ़कर 6341 करोड़ तक बढ़ गया है। 2017-18 में ये आंकड़ा 7945 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

अभी उन्होंने केंद्र द्वारा प्रदेश से नाइंसाफी करने का भंडा फोड़ा ही था कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल अपनी सीट पर उठ खड़े हुए व कहा कि आप कई मसलों पर जानबूझ कर जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बोलना जारी रखा व कहा कि उन्हें जाना है। बाद में वो सदन से चले गए तो सारा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इस पर कौल सिंह ठाकुर ने चुटकी ली व कहा कि धूमल को तो काम है वो इसलिए गए लेकिन बाकी एमएलए क्यों चले गए। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये जवाब नहीं सुनना चाहते।

मुख्यमंत्री के जवाब के बाद कौल सिंह ने स्पीकर बृज बिहारी बुटेल से आग्रह किया विपक्ष के वॉकआउट को वॉकआउट न माना जाए।

धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने पर विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला से किसी भी कर्मचारी को धर्मशाला नहीं भेजा जाएगा और न ही किसी कार्यालय से यहां से ले जाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सचिवालय को यहां से कहीं नहीं ले जाया जा रहा है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला का महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा।

कुटलैहड़ कांग्रेस के नेता वीरभद्र को अपना कर्णधार बनाने के प्रयास में

जोगिन्द्र देव आर्य बंगाणा।

कुटलैहड़ में कांग्रेस की नैया को आने वाले विधानसभा चुनावों में पार लगाने के लिये कांग्रेस के नेता इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपना कर्णधार बनाने के प्रयास में हैं। कांग्रेस के कई संगठनों के नेता इस मुहिम में लगे हैं कि वीरभद्र सिंह 25 वर्षो से कुटलैहड़ में व्याप्त सूखे को हरियाली प्रदान कर सकें। पिछले कई वर्षो से कृटलैहड़ क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया है। विधायक न बन पाने के पीछे या तो हाईकमान की कमी है या फिर कुटलैहड़ कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं में कमी है लेकिन इस बार कुटलैहड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता मन बना चुके हैं कि हर हाल में इस बार अपने प्रत्याशी को जिताना है। कुटलैहड़ में 1990 तक कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार था। इसके बाद कांग्रेस हर विधानसभा चुनाव में धराशाई होती नजर आई। कुटलैहड़ में मात्र कांग्रेस 1972, 1985 में ही चुनाव जीत पाई है। इसके अलावा गैर कांग्रेसी दलों के ही विधायक सत्तासीन रहे हैं। 1967 में ठाकुर रणजीत सिंह आजाद विधायक चुने गये,1977 में जनता पार्टी से रामनाथ शर्मा चुने गए थे। 1982 में कुटलैहड़ में विधायक पद के लिए त्रिकोणा मुकाबला हुआ था। जिसमें भाजपा से स्वर्गीय वेद रत्न आर्य, जनता दल से रणजीत सिंह और कांग्रेस से रामनाथ शर्मा चुनाव मैदान में उतरे। भाजपा और कांग्रेस से ब्राहमण प्रत्याशी होने के चलते रणजीत सिंह ठाकुर विधायक बन गए। 1985 में भाजपा और जनता दल का समझौता होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के रामनाथ शर्मा को कुटलैहड़ की कमान मिली। रामनाथ शर्मा के बाद आज दिन तक कुटलैहड़ में कांग्रेस विधायक नहीं बन पाया। 1990 में जनता दल और भाजपा का एक बार फिर समझौता हुआ। सीट जनता दल के रणजीत सिंह की झोली में जा गिरी। 1993 में कुटलैहड़ कांग्रेस का टिकट एक बार फिर रामनाथ शर्मा को दिया गया जो कि भाजपा के रामदास मलांगड़ से हार गए। कुटलैहड़ वन जागीर का 1992 अधिग्रहण हो गया और राजा महेन्द्र पाल भी राजनीति में सक्रिय हो गये। उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ मधुर संबंध होने के चलते 1998 में रामनाथ शर्मा का टिकट काटकर राजा महेन्द्र पाल को दिया गया। मात्र तीन वोटों से राजा महेन्द्र चुनाव हार गए। उसके बाद कुटलैहड़ में कांग्रेस की गुटबाजी चरम सीमा पर हो गई। 2003 में राजा महेन्द्र पाल को भी हाईकमान ने टिकट न देकर महिला नेत्री सरोज ठाकुर को चुनाव लड़वाया। 2008 में कांग्रेस टिकट के लिए दो दर्जन कांग्रेस नेताओं ने टिकट के लिए जोर आजमाईश की। जिसमें रामनाथ शर्मा टिकट झटकने में तो कामयाब हो गये लेकिन हार का मुँह देखना पड़ा। 2013 में कांग्रेस हाईकमान ने भाजपा से पलायन किए रामदास मलांगड़ पर दाव खेला लेकिन वे भी कांग्रेस की नैया पार करने में असफल रहे। ये असफलताओं का दौर आज दिन तक जारी है। वर्तमान समय में कुटलैहड़ कांग्रेस नेताओं की एक लंबी कतार है। अब कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि कांग्रेस का उम्मीदवार विधानसभा की दहलीज को पार कर ले। उसक लिये भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिये प्रयासरत है। साथ ही वीरभद्र सिंह पर कुटलैहड़ से चुनाव लड़ाने का दबाव बनाया जा रहा। कांग्रेस के पूर्व ब्लाकाध्यक्ष ज्ञान चंद शर्मा, पार्टी के उपाध्यक्ष बलदेव कुटलैहडिया समेत कई युवा नेता इस प्रयास में लगे हैं कि वीरभद्र सिंह कुटलैहड़ कांग्रेस की नैया को पार लगाने वाले खवैया बन सकें।

कौल बोले छह वीरभद्र नही तीन महीनों में निपटायेंगे भूमिहीनों के मामले

शिमला/शैल। प्रदेश के चार हजार भूमिहीनों जिनके आवेदन प्रदेश के विभिन्न जिलाधीशों के पास लंबित हैं, उन्हें तीन महीनों में निपटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ये एलान विधानसभा में किया।

इसके अलावा प्रदेश भर में तैनात नंबरदारों के भते को बढ़ाने का मामला भी सरकार के विचाराधीन हैं। इससे पहले राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सदन को भरोसा दिया था कि वो सभी जिलाधीशों को निर्देश देंगे कि छह महीने में सब मामलों को निपटा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बीच में दखल देकर खड़े हो कर कहा वो गरीबों के प्रति चिंतित हैं व विपक्ष भाजपा सदस्यों की चिंता को समझते हैं। सारे मामलों को तीन महीनों में निपटाया जाएगा।

भाजपा विधायक महेश्वर सिंह के प्रश्न जिसे रविंद्र रवि ने पूछा, के जवाब में कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश सरकार ने 191 भूमिहीनों को जमीनें दी हैजिसमें से 95 एससी, 33 ओबीसी, 5एसटी, 58 जनरल केटेगरी के हैं।

रविंद्र रवि ने पूछा था कि जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं उनके आवेदनों की छंटनी कितने समय में की जाएगी व इन्हें भूमि कितने समय में मिलेगी। कौल सिंह ने कहा कि वो सभी जिलाधीशों को निर्देश देंगे की छह महीनों में इन मामलों को निपटाएं। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा व एकल नारियों को भी तरजीह दी जाएगी। सरकार पात्र भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में तीन व शहरों में दो बिस्वा जमीन दे रही है।

राजस्व मंत्री कौल सिंह ने कहा कि नंबरदारों के भते को बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि 1997 में ये कांग्रेस की ही सरकार थी जब नंबरदारों की ओर से एकत्रित किए जाने वाले मामले पर 20 फीसद देने का फैसला लिया था। इसके बाद 50 फीसद और 2012 में 2000 सालाना मानदेय देने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि सरकार मानती है कि ये राशि कम है इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए व सरकार इस पर विचार कर रही है।

एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती मामले में एफआईआर दर्ज

शिमला/शैल। कांग्रेस व भाजपा सरकार के कारनामों को उजागर करने वाली एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती घोटाले में शिमला के सदर थाने में अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सदर थाने में दर्ज एफ आईआर नंबर 55/17 में 420, 120 बी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा13(i)(d)(ii) लगाई गई है। इस मामले की जांच के लिए जिस अधिकारी को तैनात किया गया है उसने अपनी जुबान बंद कर ली है। जांच डीएसपी सिटी राजिंदर शर्मा को सौंपी गई हैं।

जांच अधिकारी से पूछे जाने पर कि एफआईआर में अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी तो विधानसभा में लगी है। एसपी से बात कर लें। समझा जा सकता है कि डीएसपी को सरकार का खौफ होगा। तभी वो इतनी छोटी से बात को नहीं उगल पा रहे हैं।

ये एएफआईआर जिला बिलासपुर के गांव साई, डाकखाना सिकरोहा तहसील सदन के जय कुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर की गई है। जय कुमार को इस एफआईआर को दर्ज करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने सरकार को शिकायत की लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने शिमला की सब जज नेहा शर्मा की अदालत में U/S 156(3) Cr.PC के तहत याचिका दायर कर दी व ढेर सारा रिकार्ड अदालत के सामने पेश कर दिया। शिमला की अदालत ने सदर थाने को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

शिमला पुलिस ने इस पर अदालत में लिख कर दे दिया कि ये विजीलेंस का मामला है व इसकी जांच इंस्पेक्टर स्तर का अफसर कर सकता है। आखिर में सदर थाने में एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। जय कुमार ने अदालत में कहा था कि 2004 एचआरटीसी में 300 कंडक्टरों की भर्ती हुई थी जिसमें एचआरटीसी के अफसरों ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही मेरिट लिस्ट ही बनाई। सिफारिशों के आधार पर पक्षपात कर ये भर्तियां की गई। शिकायतकर्ता ने अदालत में तत्कालीन एमडी दलजीत डोगरा, जीएम एच के गुप्ता, आर एम आर एस नेगी, डीएम एम डी शर्मा व एक अन्य अधिकारी एसपी चटर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

बहरहाल ये भर्तियां पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में हुई थी व तब जी एस बाली परिवहन मंत्री हुआ करते थे। वह आज भी परिवहन मंत्री हैं। सदन में धूमल ने बीते दिनों ये मामला उठाया तो परिवहन मंत्री जी एस बाली ने तल्खी से जवाब देते हुए कहा कि दिसंबर 2007 में जब प्रदेश में भाजपा सरकार आई थी तो पूरे पांच साल विजीलेंस से जांच कराई थी व बाद में क्लीन चिट भी दे दी थी। इस पर धूमल की जुबान बंद हो गई थी।

चूंकि अब शिमला की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि धूमल सरकार में विजीलेंस ने इस मामले में दागी जांच की थी व अब क्या शिमला पुलिस का जांच अधिकारी सही जांच कर पाएगा। जबकि जब ये भर्तियां हुई थी तब के मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री हैं वहीं हैं जो आज भी इन्हीं पदों पर हैं।

बड़ा सवाल है कि जिन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है क्या उन्होंने अपने स्तर पर ही ये भर्तियां कर दी थी या तब के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व परिवहन मंत्री जी एस बाली के कहने पर ये भर्तियां हुई थी। क्या ये भी कभी पकड़ में आएंगे, ये बड़ा सवाल है। भाजपा इस मसले पर राजनीतिक दांव खेलने का प्लान बना रही है। लेकिन क्लीन चिट भाजपा की धूमल सरकार ने ही दे रखी है।

मोदी के जादू का कमाल 8 घंटे में जुड़े 6125 युवा:अनुराग

हमीरपुर/शैल। सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज देश के युवाओं में मोदी का जादू इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि सदस्यता अभियान के शुरू होने के मात्र 8 घंटे के अन्दर टेलीफोन, ऑनलाइन, फेसबुक एवं ट्वीटर के माध्यम से 6125 युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चलाये जा रहे युवा सदस्य युवा मित्र अभियान से जुड़ गए।

आज प्रत्येक युवा भाजपा के साथ जुड़ने के साथ ही मोदी से मिलना भी चाहता है। यह उनका करिश्माई व्यक्तित्व ही है कि आज वह विकास पुरूष होने के साथ-साथ ही युवाओं के मसीहा बन गये हैं। आज युवाओं के उत्साह को देखकर लगता है कि उनका आकर्षण भाजपा की ओर बढ़ा है और वे आशा भरी नजरों से भाजपा की ओर देख रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा ने जो 1 लाख का लक्ष्य लिया है उसे भी यहां का नौजवान अवश्य प्राप्त करेगा। युवाओं में इस तरह के अदम उत्साह को देखकर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हम समय से पूर्व ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

भाजपा में मोदी की हवा को लेकर उत्तराखंड त्रासदी के दौरान ने भाजपाइयों ने दावा किया था कि मोदी ने वहां से बिना किसी का भनक लगाए 15 हजार गुजरातियों को सुरक्षित गुजरात पहुंचा दिया था।

पंजाब में कर्मचारियों को नहीं दिया पे स्केल तो साफ हुए बादल:जोगटा

शिमला/शैल। कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने दावा किया है कि पंजाब की बादल सरकार ने कर्मचारियों के साथ दगाबाजी की इसलिए कर्मचारियों ने बादल सरकार को सता से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एस एस जोगटा व उनकी पूरी कार्यकारिणी ने यहां जारी ब्यान में पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार से मांग की हैं कि पंजाब के कर्मचारियों को तुरंत पे स्केल का भुगतान किया जाए ताकि हिमाचल सरकार भी कर्मचारियों को नए वेतनमान दें सके।

उन्होंने कहा कि हिमाचल कर्मचारियों के मामले में पंजाब को फॉलो करता है। जोगटा व कार्यकारिणी ने कहा कि पंजाब में ये करिश्मा इस लिए भी हुआ क्योंकि पंजाब की बादल सरकार ने कर्मचारियों को खून के आंसू रूलाया था।

उन्होंने कहा कि इतनी हड़ताल के बावजूद बादल नरम नही हुए हड़ताल खत्म करने पहुंचे बादल और बादल सरकार के प्रतिनिधि हड़ताल खत्म करने के बावजूद कर्मचारियों आशवासन दिया था कि उनकी सरकार जल्दी ही वेतन मान देने जा रही है। लेकिन बादल सरकार ने कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया इसलिए पंजाब में बादल साफ हो गए।

एक साल में 5346 मरीज रेफर हुए पीजीआई हिमाचल से

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल और टांडा अस्पताल समेत प्रदेश भर के सारे अस्पतालों में जनवरी 2016 से दिसबंर 2016 तक डाक्टर 5346 मरीजों का इलाज करने में नाकाम रहे व इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। ये खुलासा स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किया। भाजपा विधायक महेश्वर सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। आईजीएमसी से 650 मरीज रेफर किए गए जबकि टांडा अस्पताल से 1134 मरीज रेफर हुए। जिलों में उना और सोलन के अस्पताल मरीजों को पीजीआई रेफर करने में टॉप पर हैं। सोलन से 1385 व उना से 1270 मरीज रेफर किए गए। बिलासपुर से 201, कुल्लू से 227 चंबा से केवल एक ही मरीज रेफर हुआ। हमीरपुर से 250 और कांगड़ा से 104, मंडी से 194 और सिरमौर से19 मरीज 2016 में पीजीआई रेफर किए गए। कौल सिंह ने कहा कि पीजीआई में प्रदेश से पांच अफसर डेपुटेशन में हैं ऐसे में किसी अफसर को अलग से तैनात नहीं किया गया है अगर जरूरत होगी तो देखेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर के पद सीनियर आईएएस अफसर अमिताभ अवस्थी तैनात हैं व ये अफसर प्रदेश के मरीजों की मदद करते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा त्रच्चा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

धर्मशाला के अपने ही बुने चक्रव्यूह में उलझे वीरभद्र और उनके सलाहकार

शिमला/शैल। धर्मशाला प्रदेश की दूसरी राजधानी बनेगी या धर्मशाला को केवल दूसरी राजधानी होने का दर्जा दिया जायेगा यह विधानसभा में उठी बहस में भी साफ नही हो पाया है। क्योंकि मन्त्रीमण्डल ने इस आशय का जो फैसला लिया है उसके प्रतिसदन के पटल तक नहीं पंहुच पायी है। मन्त्रीमण्डल के समक्ष रखे गये प्रस्ताव की Statement of objection में क्या कहा है यह भी अभी तक सामने नही आ पाया है। किसी शहर को राजधानी घोषित करने की एक तय प्रक्रिया है और उसके कुछ तय मानक हैं। राजधानी बनाया जाने वाला शहर उन मानकों को कितना पूरा करता है इस विस्तृत विचार करना आवश्यक होता है क्योंकि राजधानी बनाने और एक तहसील का कार्यालय खोलने में अन्तर होता है। अभी तक देश के किसी भी राज्य में एक साथ दो राजधानीयों की व्यवस्था नही है। जम्मू-कश्मीर में भी छः माह के लिये जम्मु और श्रीनगर में पूरी राजधानी रहती है। यह नही होता कि एक ही वक्त में जम्मू और श्रीनगर के लिये एक ही आदेश की दो प्रतियां बनाकर एक जम्मू के नाम से और दूसरी श्रीनगर शहर जो राजधानी के मानक तो पूरे करता हो परन्तु वह Seat of Governance के लिये उपयुक्त स्थान न हो। ऐसे में राजधानी और Seat of Governance दो अलग-अलग स्थान हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की आवश्यकता क्यों खड़ी हुई है। क्या शिमला से प्रदेश का प्रशासन चलाना कठिन हो रहा है। इन सारे बिन्दुओं पर चर्चा के लिये एक ही मंच है। विधानसभा पटल और उसी में यह चर्चा नही हो पायी है। राजधानी केवल राजधानी होती है वह पहली और दूसरी नही होती है।

लेकिन धर्मशाला-शिमला को लेकर इस संद्धर्भ में चर्चा होने से पहले ही इसे राजनीति का रंग दे दिया गया है। धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने के ऐलान के साथ ही पूरे मुद्दे को यह मोड दे दिया गया कि यहां से अधिकारिक तौर पर काम कब से शुरू होगा। कब इसकी अधिसूचना जारी होगी। कब सारे कार्यालय यहां स्थानान्तरित होंगें। इसके विस्तार के लिये धर्मशाला में कंहा जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। जैसे ही इन बिन्दुओं पर जनता में चर्चा उठी उसी अनुपात में शिमला, सोलन और सिरमौर के क्षेत्रों में इसको लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गये। चौपाल में वाकायदा इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। चौपाल से मुखर हो विरोध के स्वर जब अन्य स्थानों पर फैले तो शिमला के कालीबाड़ी हाल में भी इस तरह का विरोध प्रस्ताव पारित करने की रणनीति बनी। लेकिन आयोजन को शक्ल लेने से पहले ही जिला प्रशासन के अपरोक्ष दखल से रद्द कर दिया। लेकिन जैसे ही इस उठते विरोध की भनक वीरभद्र सिंह को मिली उन्होने तुरन्त सदन में यह कह दिया कि अभी शिमला से कोई कार्यालय और कर्मचारी धर्मशाला के लिये स्थानान्तरित नहीं होंगे। लेकिन धर्मशाला को लेकर किया गया मन्त्रीमण्डल का फैसला अभी तक बरकार है। शिमला, सोलन, सिरमौर से इस फैसले को वापिस लेने की मांग उठ गयी है। यदि यह फैसला वापिस न लिया गया तो इस क्षेत्र में इसके परिणाम कांग्रेस और स्वयं वीरभद्र के लिये भारी पड़ सकते हैं क्योंकि जनरोष बढ़ता जा रहा है।

दूसरी ओर धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करके प्रदेश के सबसे बड़े जिले को साधने का जो प्रयास किया गया था उस पर भी वीरभद्र के सदन में दिये जबाव के बाद प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गये हैं। वीरभद्र के जबाव के बाद यह संदेश गया है कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करने की ब्यानबाजी और फैसला महज चुनावी घोषणा है। ऐसे में कांगड़ा के जो नेता धर्मशाला को राजधानी घोषित करवा कर इसे अपनी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धी करार देकर चुनावी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे थे उनके प्रयासों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। लगता है कि वीरभद्र और उनके सलाहकार धर्मशाला को लेकर रचे चक्रव्यूह को स्वयं ही भेदने में असफल हो गये हैं।

प्रिंयका गांधी मामलें में वीरभद्र सरकार ने बदला स्टैण्ड

डीसी शिमला से आरटीआई में आयी सूचना बाहर

शिमला/शैल।

प्रियंका गांधी वाड्रा को हिमाचल सरकार से 10.08.2007 को पत्र संख्या Rev.BF(10)-284/2007 को 0-31-84 है. और 29.7.2011 को पत्र संख्या Rev.BF(10)-283/2011 को 0.92.22 है. और वर्ष 2013 में 0.94.46 है. जमीन खरीद की अनुमतियां मिली है। यह जमीन रिट्रीट के साथ सटी है जहां गर्मीयों में राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री कभी अवकाश बिताने आते हैं। ऐसे स्थलों पर किसी अन्य व्यक्ति को सुरक्षा कारणों से जमीन खरीद की अनुमति अक्सर नही दी जाती है। प्रिंयका गांधी भी सुरक्षा के उसी दायरे में हैं लेकिन रिट्रीट के साथ जमीन खरीद की अनुमति पर सवाल उठ गये। दिल्ली के आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने इस खरीद की सूचना आर टी आई के तहत मांग ली। उन्हे सुरक्षा कारणों से यह जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया। मामला सूचना आयोग तक पहुंचा। आयोग ने सूचना दिये जाने के आदेश कर दिये। लेकिन उसी दौरान सूचना दिये जाने पर प्रदेश उच्च न्यायालय से स्टे हासिल कर लिया गया था। सूचना आयोग का फैसला उच्च न्यायालय की अवमानना बन गया और परिणाम स्वरूप दोनों सूचना आयुक्तों ने उच्च न्यायालय में इसके लिये खेद व्यक्त किया। यह पूरा मामला आज भी उच्च न्यायालय में लंबित है।

लेकिन इसी बीच देवाशीष भट्टाचार्य ने 20.6.16 को सी बीआई के पास इस संद्धर्भ में एक शिकायत दायर कर दी। इस शिकायत पर कारवाई हुए सीबीआई ने यह शिकायत निदेशक लैण्ड रिकार्ड को भेज दी। डायरैक्टर लैण्ड रिकार्ड ने इसे डीसी शिमला को भेज दिया। डीसी शिमला ने इस पर कारवाई करते हुए इस खरीद से जुडी सारी जानकारी डायरैक्टर लैण्ड रिकार्ड को भेजते हुए उसकी कापी सी बीआई और देवाशीष भट्टाचार्य को भी भेज दी। देवाशीष इस जमीन खरीद की अधिकारिक सूचना ही मांग रहे थे जो उन्हे अब इस माध्यम से मिल गयी है। इस सूचना के बाद इससे जुडे अगले सवाल क्या और कब उठाये जाते हैं यह सब आगे सामने आयेगा। लेकिन इस सूचना को न देने के लिये जो लडाई लडी गयी उसमें सचिव राजस्व और डीसी शिमला को भी उच्च न्यायालय में देवाशीष के साथ पार्टी बनाया गया था। ऐसे में अब यह सूचना बाहर आने से और वह भी डीसी शिमला के हस्ताक्षरों से जो अदालत में स्वयं एक पार्टी हैं सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या वीरभद्र सरकार ने प्रिंयका गांधी वाड्रा के मामलें में अपना स्टैण्ड बदल लिया है। इस मामले में आने वाले समय में प्रदेश उच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेता है इस पर सबकी निगांहे लगी हैं। क्योंकि सूचना आने से यह माना जा रहा है कि सरकार जानबूझ कर इस मामले को लम्बा कर रही थी।

ANNEXURE-A·10

Urgent Regd.

Rev.(LR)Stat-SK (132)-2016-10767

From
Director of land records,
Himachal pardesh shimla-9

Dated 5/9/16 Shimla -9

To
The Deputy Commissioner,
Shimla, Himachal Pradesh.

Subject; - Forwarding of Complaint-reg.

Sir,

I am enclosing herewith a copy of letter No-1163/U/CA/78/2016/CBI/Shimla dated 23-08-2016 received from Head of Branch CBI Shimla, alongwith a copy of complaint dated 20/06/2016 by Sh. Dev Ashish Bhattachryan, B-5,Pocket-7,Block-54, Kenfriya Vihar,Sector-82,Noida,UP-201304 on the subject cided above.

In this context, you are requested to examine the matter and send your detailed reports to concened Department under intimation to this Directrorate at the earliest possible please.

Yours faithfully,
Directorate of Land Records,
Himachal Pradesh Shimla-9
Dated: 5/9/16

Endst no-As above- 10768-69

Copy forwarded to
1. The Head of Branch CBI, Railway Board Building,The Mall Shimla-1 w.r.t his letter refrred above for information.
2. Sh. Dev Ashish Bhattachryan, B-5, Pocket-7, Block-54, Kenfriya Vihar, Sector-82, Noida, UP-201304 for information.

Director of Land Records,
Himachal Pardesh Shimla-9.

Attested
Assistant Public Information Offi
Supdt. Grade-I Directorate Land
Himachal Pradesh Shimla-171009

ANNEXURE-A·11

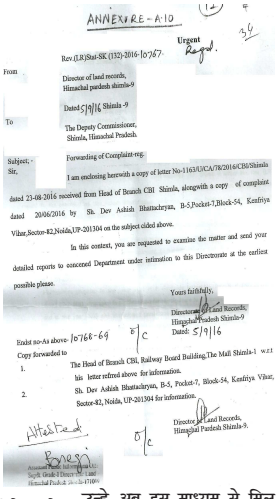

No.SML-LRD-18(49)/2015-
Office of the Deputy Commissioner,
District Shimla, H.P.

Dated: Shimla the th October, 2016

To
The Head of Branch,
Central Bureau of Investigation,
Railway Board Building, The Mall Shimla.

Subject:- Forwarding of complaint regarding.

Sir,

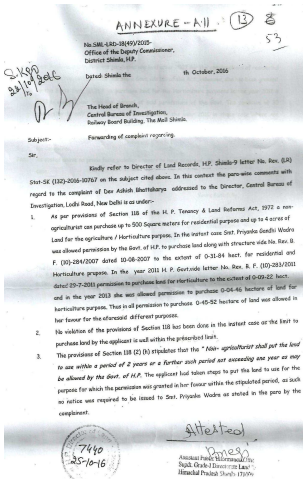

Kindly refer to Director of Land Records, H.P. Shimla-9 letter No. Rev. (LR) Stat-SK (132)-2016-10767 on the subject cited above. In this context the para-wise comments with regard to the complaint of Dev Ashish Bhattaharya addressed to the Director, Central Bureau of Investigation, Lodhi Road, New Delhi is as under:-

1. As per provisions of Section 118 of the H. P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 a non-agriculturist can purchase up to 500 Square meters for residential purpose and up to 4 acres of Land for the agriculture / Horticulture purpose. In the instant case Smt. Priyanka Gandhi Wadra was allowed permission by the Govt. of H.P. to purchase land along with structure vide No. Rev. B. F. (10)-284/2007 dated 10-08-2007 to the extent of 0-31-84 hect. for residential and Horticulture prupose. In the year 2011 H. P. Govt.vide letter No. Rev. B. F. (10)-283/2011 dated 29-7-2011 permission to purchase land for Horticulture to the extent of 0-09-22 hect. and in the year 2013 she was allowed permission to purchase 0-04-46 hectare of land for horticulture purpose. Thus in all permission to purchase 0-45-52 hectare of land was allowed in her favour for the aforesaid different purposes.
2. No violation of the provisions of Section 118 has been done in the instant case as the limit to purchase land by the applicant is well within the prescribed limit.
3. The provisions of Section 118 (2) (h) stipulates that the "*Non- agriculturist shall put the land to use within a period of 2 years or a further such period not exceeding one year as may be allowed by the Govt. of H.P.* The applicant had taken steps to put the land to use for the purpose for which the permission was granted in her favour within the stipulated period, as such no notice was required to be issued to Smt. Priyanka Wadra as stated in the para by the complainant.

Attested
Assistant Public Information Offic
Supdt. Grade-I Directorate Land
Himachal Pradesh Shimla-171009

7440
25-10-16

Smt. Priyanka Wadra had not purchased any land after 2007 for the constructions of residential house with the permission to the State Govt. u/s 118 of the Act., However, she has been granted by the State Govt. of H.P. to purchase land for the Horticulture purposes in the year 2011 & 2013 as would appear from the perusal of said permissions of the Govt. The condition of 30 years stay is only applicable after amendment in the year 2011 in those case where non agriculturist purchases land for residential purpose.

5. The contents of this para do not pertain to us.
6. No Comments.
7&8. As stated above no prima facie violation appears to have occurred vis- a- vis Section 118 in this case.

Yours faithfully,
(Rohan Chand Thakur) I.A.S.
Deputy Commissioner, Shimla, H.P.

Endst.No. As Above Shimla the 13157-4 dt 18/10/2016

Copy forwarded to:-
1. The Director of Land Records, Himachal Pradesh Shimla-9 with reference to his office letter No. (LR) Stat-SK (132)-2016- 10767 dated 5-9-2016 for information and further necessary action.

Attested
(Rohan Chand Thakur) I.A.S.
Deputy Commissioner, Shimla, H.P.

भाजपा ने धीमान के बेटे को सौंपी विरासत

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी ने भोरंज उपचुनाव में किसी नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने से परहेज करते हुए पूर्व मंत्री ईश्वर दास धीमान के पुत्र अनिल धीमान को प्रत्याशी घोषित कर दिया हैं। परिवारवाद की राजनीति को नकारने का दावा करने वाली भाजपा ने आम चुनावों से ऐन पहले होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव के लिए ताकतवर प्रत्याशी खड़ा कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार व मिशन रिपीट का डंका बजा रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

भाजपा ने कतई भी रिस्क नहीं लिया है। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने कहा कि भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में भोरंज विधान सभा उप चुनावों के लिए अनिल धीमान को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया है। अनिल धीमान स्व.ईश्वर दास धीमान के पुत्र हैं जिन्होनें 6 बार इस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इस उप चुनाव को भारी मतों से जीतकर प्रदेश में माफियाराज के अंत की शुरूआत करेगी। उप चुनाव का यह नतीजा इस बात को तय कर देगा कि आगामी विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भारी समर्थन से सरकार बनाने वाली है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भोरंज विधान सभा उप चुनावों के लिए प्रदेश भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक रणधीर शर्मा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इनकी देखरेख में भाजपा इस चुनाव का संचालन करेगी।

भोरंज उप चुनावों के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण बैठक भोरंज के सनशाइन होटल में सम्पन्न हुई जिसमें भाजपा के चुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा सहित प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर, महेन्द्र सिंह ठाकुर, कर्नल इंद्र सिंह, वीरेन्द्र कंवर, प्रवीण शर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, अनिल धीमान सहित जिला पदाधिकारी, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र अध्यक्ष, ग्राम केन्द्र अध्यक्ष, बी.एल.ए. ,मण्डल कार्यसमिति सदस्य, मोर्चों, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उपस्थित थे।

भोरंज विधान सभा सीट पर उप चुनाव 9 अप्रैल को होगा। ये चुनाव ये भी संकेत दे देंगे कि आम चुनावों में किसका पलड़ा भारी होगा।

भोरंज से कांग्रेस ने बदला टिकट अब प्रोमिला होंगी प्रत्याशी

शिमला/शैल। कांग्रेस पार्टी ने जिला हमीरपुर के भोरंज के उपचुनाव में भाजपा के ताकतवर प्रत्याशी अनिल धीमान के खिलाफ उतारे प्रत्याशी प्रेम कौशल का टिकट 48 घंटों के भीतर बदल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने दावा किया था कि प्रेम कौशल के टिकट को कांगेस में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति राहुल गांधी ने क्लीयर किया था। हालांकि राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं। दावा कितना सही था ये पड़ताल का विषय है।

बहरहाल प्रेम कौशल को टिकट मिलने के बाद भोरंज कांग्रेस में घमासान मच गया था। कहा जाता है कि कभी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के राजदार रहे राजेंद्र राणा ने प्रेम कौशल का टिकट कटवाया। कुछ हाथ कांग्रेस के मौजूदा प्रधान सुखविंदर सूक्खू का भी रहा है।

प्रेम कौशल की तरह ही प्रोमिला भी वीरभद्र सिंह समर्थक रही हैं व मौजूदा समय में वो प्रदेश महिला आयोग की सदस्य रही है। वो जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रेम कौशल भाजपा के धीमान के मुकाबले कमजोर प्रत्याशी थे तो उन्हें पहले टिकट दिया ही क्यों। अब टिकट काट कर जिस महिला प्रत्याशी को टिकट दिया गया हैं वो भाजपा को कितनी चुनौती दे पाएगी, ये सवाल बड़ा है। 48 घंटों में जो हुआ वो कांग्रेस में अराजकता की कहानी ब्यां करता है।

सबको मालूम है कि राजेंद्र राणा धूमल के राजदार रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में तो ये भी कहा जाता हैं कि सुक्खू की भी धूमल से 'सटी-गटी' रही है।

राणा व सुक्खू इन चुनावों में अब क्या कर पाते हैं ये देखना है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी हारी तो इन दोनों पर लांछन लगते देर नहीं लगेगी कि इन्होंने जानबूझ कर कांग्रेस प्रत्याशी को हराया ताकि भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी कटघरे में रहेंगे।

बहरहाल, टिकट बदलवा कर कांग्रेस पहले दौर की मनोवैज्ञानिक जंग हार चुकी हैं। 9 अप्रैल को मतदान होना हैं व 7 अप्रैल तक विधानसभा का सत्र हैं। ऐसे में सरकार कितना प्रचार कर पाएगी ये देखना हैं।